रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

Registered No. D. (D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 11, 1975 (आश्विन 19, 1897)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 11, 1975 (ASVINA 19, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 17 सितम्बर 1975 तक प्रकाशित किए गए हैं—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 17th September 1975 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. & Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
170.	सं० 37/1/XIV/75/टी० दिनांक 4 सितम्बर 1976 No. 37/1/XIV/75/T dated the 4th September 1975	लोक सभा Lok Sabha	लोक सभा का सत्रावसान Prorogation of Lok Sabha
171.	सं० आर० एस० 1/3/75-एल०, दिनांक 4 सितम्बर 1975 No. R.S. 1/3/75-L dated the 4th September 1975	राज्य सभा Rajya Sabha	राज्य सभा का सत्रावसान Prorogation of Rajya Sabha
172.	सं० 35-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 6 सितम्बर 1975 No. 35-ETC(PN)/75 dated the 6th September 1975	वाणिज्य मन्त्रालय Ministry of Commerce	शुगर के निर्यात को सरणीबद्ध करना Export of Sugarcanalisation of
173.	सं० 91—आई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 6 सितम्बर 1975 No. 91-ITC(PN)/75, dated the 6th September 1975	वाणिज्य मन्त्रालय Ministry of Commerce	अफगानिस्तान से नारियल, काजू तथा खजूरों को छोड़ कर ताजे फलों का निर्यात। Import of fresh Fruits excluding coconuts, cashewnuts and dates from Afghanistan.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग पत्र भेजने पर भेज दी जायेंगी। मांग पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
174	सं० प्रति अदायगी/सा० सू०-67/75, दिनांक 8 सितम्बर 1975	वित्त मन्त्रालय	सार्वजनिक सूचना प्रति अदायगी पी० एन० 1 दिनांक 15 अक्तूबर 1971 का संशोधन।
	No. Drawback/PN-67/75 dated the 8th September, 1975	Ministry of Finance	Amendment of Public Notice No. drawback/P.N-1 dated the 15th October, 1971.
	सं० प्रति अदायगी/सा० सू०-68/75 दिनांक 8 सितम्बर 1975।	वित्त मन्त्रालय	सा० सू० सं० प्रति अदायगी/सा० सू० 64/75 दिनांक 20 अगस्त, 1975 का संशोधन।
	No. Drawback/PN-68/75, dated the 8th September 1975	Ministry of Finance	Correction in the Public Notice No. Drawback/PN-64/75, dated the 20th August 1975.
	सं० प्रति अदायगी/सा० सू०-69/75 दिनांक 8 सितम्बर 1975।	वित्त मन्त्रालय	सा० सू० सं० प्रति अदायगी/पी० एन०-22/73 दिनांक 1 जून 1973 और सं० प्रति अदायगी/पी० एन० 26/74 दिनांक 1 जून 1974 में शुद्धियां करना।
	No Drawback/P.N.-69/75, dated the 8th September 1975	Ministry of Finance	Corrections in the Public Notices No. Drawback/P.N.-22/73 dated the 1st June 1973 and No. Drawback/P.N.-26/74 dated the 1st June 1974.
	सं० प्रति अदायगी/सा० सू०-70/75 दिनाक 8 सितम्बर 1975	वित्त मन्त्रालय	सा०सू० सं० प्रति अदायगी/पी० एन०-5/72 दिनाक 15 जनवरी 1972 मे शुद्धि करना।
	No. Drawback/P.N.-70/75 dated the 8th September 1975	Ministry of Finance	Correction in Public Notice No. Drawback/P.N.-5/72 dated the 15 January 1972.
	सं० प्रति अदायगी/सा० सू०-71/75 दिनाक 8 सितम्बर, 1975	वित्त मन्त्रालय	सा० सू० स० प्रति अदायगी/ पी० एन० 1 दिनाक 15 अक्तूबर 1971 मे संशोधन।
	No. Drawback/P.N -71/75 dated the 8th September 1975	Ministry of Finance	Amendments in the Public Notice No. Drawback/P.N.-1 dated the 15th October 1971.
175	सं० एफ० 3 (77)-बी०/75 दिनाक 11 अगस्त, 1975 (प्रकाशन दिनांक— 9 सितम्बर, 1975)	वित्त मन्त्रालय	28 फरवरी, 1975 को संसद् मे प्रस्तुत 1975-76 के वार्षिक वित्तीय विवरण को सर्व-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित करना।
	No. F. 3(77)-B/75 dated the 11th August, 1975 (Date of Issue is 9th September, 1975)	Ministry of Finance	Publishing for general information the Annual Financial Statement for 1975-76 as presented to the Parliament on the 28th February, 1975.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किय गया Issued by	विषय Subject
176.	सं० 156 (9)/74—पालिसी 1, दिनाक 10 सितम्बर, 1975	कृषि और सिचाई मन्त्रालय	खाद्य नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने मे, व्यापारियो और विधापन उद्योग का सहयोग प्राप्त करने के लिए उपायो पर, तथा चीनी, वनस्पति और खाने के तेलो के बारे मे नीति बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने मे एव भण्डारण, विपणन, विधापन उद्योगो तथा पोषाहार सम्बन्धी कार्यक्रमो के विकास की योजनाओ से सम्बधित कार्यक्रमों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक नई सलाहकार परिषद् गठित करना।
	No. 156 (9)/74-PY. I, dated the 10th September, 1975	Ministry of Agriculture and Irrigation	Constituting a new Advisory Council to advise Government in formulation and implementation of food policy, on measures to secure Cooperation of Trade and processing industry and in formulation and implementation of policy regarding sugar, vanaspati and edible oils and on programmes relating to plans for development of storage, marketing and processing industry and nutrition programme.
177.	स० 92-आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 75, दिनांक 11 सितम्बर, 1975।	वाणिज्य मन्त्रालय	एयर इडिया/इंडियन एयर लाइस के माध्यम से आयात।
	No. 92-ITC(PN)/75, dated the 11th September, 1975	Ministry of Commerce	Imports through Air India/ Indian Airlines
	स० 93-आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 75, दिनाक 11 सितम्बर, 1975।	वाणिज्य मन्त्रालय	अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए पजीकृत निर्यातको के लिए आयात नीति (संशोधन)।
	No. 93-ITC(PN)/75, dated the 11th September, 1975	Ministry of Commerce	Import policy for Registered Exporters for the period April 1975—March 1976 (Amendment).
178.	स० 94-आई० टी० सी० (पी० एन०)/ 75, दिनांक 12 सितम्बर, 1975।	वाणिज्य मन्त्रालय	भारत-अफगानिस्तान, व्यापार व्यवस्था, 1974-75 के अधीन प्रति सतुलन निर्यात आभारो को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा मे वृद्धि और 1-4-75 से 31-3-1976 तक की अवधि के लिए अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात।
	No. 94-ITC(PN)/75 dated the 12th September, 1975	Ministry of Commerce	Extension of time limit for fulfilment of Counter export obligations under the Indo-Afghan Arrangements 1974-75 and Import of Fresh fruit from Afghanistan for the period 1-4-75 to 31-3-76

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
179.	सं० 95-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनाक 12 सितम्बर, 1975।	वाणिज्य मन्त्रालय	अप्रैल, 75—मार्च, 76 के लिए आयात नीति ।
	No. 95-ITC(PN)/75, dated the 12th September, 1975	Ministry of Commerce	Import policy for the year April, 1975—March, 1976.
	सं० 96-आर० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनाक 12 सितम्बर, 1975	वाणिज्य मन्त्रालय	अप्रैल, 1975—मार्च 1976 वर्ष के लिए आयात नीति।
	No. 96-ITC(PN)/75 dated the 12th September, 1975	Ministry of Commerce	Import policy for the year April, 1975—March, 1976.
180.	सं० 97-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनाक 15 सितम्बर, 1975।	वाणिज्य मन्त्रालय	लाइसेंस अवधि—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 के लिए आयात नीति ।
	No. 97-ITC(PN)/75, dated the 15th September, 1975	Ministry of Commerce	Import policy for the licensing period April, 1975—March, 1976.
181.	सं० प्रति अदायगी/सू० ०-72/75, दिनांक 17 सितम्बर, 1975।	वित्त मन्त्रालय	सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी० एन०-1, दिनाक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन करना।
	No. Drawback/PN-72/75, dated the 17th September, 1975	Ministry of Finance	Making amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	737
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1609
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1327
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित है) . .	2801
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3639
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	463
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	8527
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	697
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल है . . .	1535
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	177

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	737
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1609
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1327
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bill and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2801
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3639
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	463
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	8527
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	697
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1835
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	177

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1975

शुद्धिपत्र

आल इंडिया फाइन आर्टस एण्ड क्राफ्टस सोसाइटी हाल, रफी मार्ग, नई दिल्ली में डाकखाना बचत बैंक पुरस्कार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 31 जुलाई, 1975 को निकाले गए तीसरे ड्रा का परिणाम ।

सं० एफ० 2 (ii)—एन० एस०/75—इस मंत्रालय की 5 अगस्त 1975 की समसंख्यक अधिसूचना में घोषित चौथे पांच हजार रुपये के एक सौ पुरस्कारों की सूची की क्रम संख्या 90 के सम्बन्ध में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा स्थानापन्न किया जाए ।

पुरस्कार	अखिल भारतीय कोड संख्या	डाकखाना बचत बैंक खाता संख्या	डाकखाना/ मुख्य डाकखाना	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	1446773	1068730	कालीकट	केरल

ए० वी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

नियमावली

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 1975

सं० ए०-12025/8/74-खान-2—निम्नलिखित पदों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1976 में ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियमावली, कृषि व सिंचाई मन्त्रालय की सहमति से आम सूचना के लिए प्रकाशित की जा रही है :—

वर्ग—I (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इस्पात और खान मन्त्रालय में पद)

(i) भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) श्रेणी I और

(ii) सहायक भूवैज्ञानिक, श्रेणी II

वर्ग—II (केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में पद)

कनिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक श्रेणी I

1. उम्मीदवार ऊपर लिखे किसी एक या दोनों वर्गों की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है । आवेदक को चाहिए कि वह अपने आवेदन पत्र में, उन पदों का स्पष्ट उल्लेख करें जिनके बारे में वह प्राथमिकता के आधार पर विचार किए जाने का इच्छुक है ।

उपर्युक्त वर्ग/वर्गों में उल्लिखित जिन पदों के लिए उम्मीदवार प्रतियोगिता में भाग ले रहा है उनके लिए उसके द्वारा व्यक्त प्राथमिकता में परिवर्तन के अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक इस प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 15 दिन के भीतर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता ।

2. शुरु में परीक्षा के परिणाम पर नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की जायेंगी, उम्मीदवार अपनी बारी से स्थायी रिक्ति होने पर स्थायी नियुक्ति पाने के हकदार होंगे ।

3. परीक्षा परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी परीक्षा नोटिस में दी जाएगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पदों का आरक्षण सरकार द्वारा नियत संख्या के अनुसार किया जाएगा ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों से तात्पर्य ऐसी उन जातियों से है जिनका उल्लेख संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950; संविधान (अनुसूचित जाति) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश 1951; संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश 1951 में किया गया है और जिनका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई मान्यता अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971; संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान, (अंडमान नीकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश 1959, संविधान (दादरा व नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (दादरा व नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति

आदेश 1962, सविधान (पाडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, सविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, सविधान (गोवा दमन व दिव) अनुसूचित जन-जाति आदेश, 1968, सविधान (गोवा दमन व दिव) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1968 तथा सविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 द्वारा सशोधन किया गया है।

4 सघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के परिशिष्ट-I मे निर्धारित ढग से परीक्षा ली जाएगी।

परीक्षा की तारीखो और स्थानो का निश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा।

5 उम्मीदवार या तो —

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो

(ग) भूटान की प्रजा हो या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत मे स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले आ गया हो, या

(ङ) भारत का मूल निवासी हो और भारत मे स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्व अफ्रीकी देशो कीनिया, उगाडा और सयुक्त गणराज्य तन्जानिया से आया हो।

परन्तु ऊपर (ख) (ग) (घ) व (ङ) श्रेणियो के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवारो के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ऐसी उम्मीदवार को, जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, भी परीक्षा मे बैठने दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हो।

6 (क) इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 1976 को 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए तथा 30 से अधिक नही होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1946 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1955 के बाद न हुआ हो।

यदि किसी उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी, 1946 से पूर्व का है किन्तु 2 जनवरी, 1945 से पूर्व का नही है, तो विशेष मामले के रूप मे वह भी इस परीक्षा मे प्रवेश का पात्र होगा। यह रियायत केवल 1976 की परीक्षा के लिए होगी।

(ख) ऊपरी आयुसीमा मे निम्नलिखित वर्गों के उन सरकारी कर्मचारियो को 4 वर्ष की छूट दी जाएगी जो नीचे कालम मे उल्लिखित विभाग मे काम करते हो और कालम II मे वर्णित तत्सम्बन्धी पद (पदो) के लिए आवेदन करे।

(i) वह उम्मीदवार जो किसी विभाग विशेष मे स्थायी पद पर स्थायी हो।

(ii) वह उम्मीदवार, जो 1 जनवरी, 1976 को कम से कम 3 वर्ष से लगातार किसी विशेष विभाग मे अस्थायी रूप से काम कर रहा हो।

तीन वर्ष की लगातार सेवा की गणना के लिए भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण सस्था तथा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड दोनो मे की गई सेवा को शामिल किया जाएगा बशर्ते कि सेवा मे किसी प्रकार का व्यवधान न हुआ हो।

कालम I	कालम II
भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण सस्था	भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) श्रेणी I, सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-II
केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	कनिष्ट भू-जल वैज्ञानिक, श्रेणी-I सहायक भू-जल वैज्ञानिक श्रेणी-II

6 (ग) निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा मे नीचे लिखी छूट दी जा सकती है —

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो अधिक मे अधिक पाच वर्ष की छूट।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले उसने भारत मे प्रव्रजन किया है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष की छूट।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और वह भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है जिसने 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले भारत मे प्रव्रजन किया है तो उसे अधिक से अधिक आठ वर्ष की छूट।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलका से प्रत्यावर्तित भारत का वास्तविक मूल निवासी है और उसने अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत मे प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष की छूट।

(v) यदि उम्मीदवार श्रीलका से प्रत्यावर्तित भारत का वास्तविक मूल निवासी है और उसने अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत मे प्रव्रजन किया हे और वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का भी

हो जो उसे अधिक से अधिक आठ वर्ष की छूट ।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत का मूल निवासी है और उसने केन्या, यूगान्डा और तन्जानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष की छूट ।

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से प्रत्यावर्तित भारत का वास्तविक मूल निवासी है और उसने 1 जन 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष की छूट ।

(viii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और वह बर्मा से प्रत्यावर्तित भारत का वास्तविक निवासी भी है और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया है तो अधिक से अधिक आठ वर्ष की छूट ।

(ix) ऐसे उम्मीदवार के लिए अधिकतम 3 वर्ष, जो भूतपूर्व पुर्तगाल शासित गोवा, दमन व दियु का निवासी था ।

(x) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक, जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए ।

(xi) रक्षा सेवा के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक, जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए और जो अनुसूचित जातियां या अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ।

(xii) सीमा सुरक्षा दल के उन कर्मचारियों के लिए अधिकतम तीन वर्ष तक जो 1971 के भारत पाक युद्ध में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए, तथा

(xiii) सीमा सुरक्षा दल के उन कर्मचारियों के लिए अधिकतम आठ वर्ष तक, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान फौजी कार्रवाई में विकलांग हुए और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए तथा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के हैं ।

उपर बताई गई स्थितियों को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में उपर निर्धारित आयु-सीमाओं में छूट नहीं दी जा सकती ।

ध्यान दें —(i) यदि कोई व्यक्ति ऊपर दिए गए नियम 6(ख) में वर्णित आयु को रियायत के अधीन परीक्षा में बैठने की अनुमति पाता है तो उसकी उम्मीदवारी उस स्थिति में रद्द की जा सकती है यदि वह आवेदन-पत्र देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या परीक्षा देने के बाद अथवा उससे पहले उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं । लेकिन यदि अपना आवेदनपत्र देने के बाद उसके पक्ष में उसकी छटनी कर दी जाती है तब उस स्थिति में उसकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जाएगी ।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार अपने विभाग को आवेदन-पत्र देने के बाद किसी अन्य विभाग या कार्यालय में स्थानांतरित हो जाता है तो वह विभागीय आयु छूट के अधीन इस पद/इन पदों के लिए प्रतियोगी हो सकता है जिसके लिए वह स्थानान्तरण न होने पर प्रतियोगी होता , बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र उसके मूल विभाग द्वारा विधिवत अनुशंसा के साथ अग्रेषित किया गया हो ।

7 उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए —

(क) भारत के केन्द्रीय या राज विधान मंडल के अधिनियम द्वारा नियमित विश्वविद्यालय से या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षिक संस्था से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के समकक्ष घोषित किसी संस्था से भूविज्ञान में एम० एस० सी० डिग्री, अथवा

(ख) भारतीय खान स्कूल, धनबाद से प्रयुक्त भूविज्ञान में एसोसिएटशिप का डिप्लोमा ।

नोट 1—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसे पास कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे उस परीक्षा परिणाम की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है । यदि कोई उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो तो वह भी आवेदन कर सकता है । इस प्रकार के उम्मीदवार को, यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो तो, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा किन्तु परीक्षा में बैठने की वह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि उम्मीदवार अर्हक परीक्षा में पास होने का प्रमाण-पत्र जल्दी और हर हालत में 30 सितम्बर 1976 तक प्रस्तुत नहीं करता तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा ।

नोट 2—अपवादित मामलों में, यदि किसी उम्मीदवार के पास नियम में निर्धारित कोई योग्यता नहीं है तो आयोग उस उम्मीदवार को शैक्षणिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उसने ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों जिनका स्तर आयोग की राय में इस परीक्षा में बैठने के लिए उपयुक्त हो ।

नोट 3—जिन उम्मीदवारों ने अपनी डिग्री किसी विदेशी विश्वविद्यालय से ली हो, और जो अन्य शर्तें पूरी करते हों वे भी आयोग को आवेदन पत्र भेज सकते हैं और आयोग यदि उचित समझे तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है।

8 उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के अनुबंध-I में निर्धारित शुल्क देना होगा।

9. जो उम्मीदवार पहले से ही स्थायी या अस्थायी रूप से सरकारी सेवा में हो, अथवा वर्कचार्ज कर्मचारी (आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी को छोड़कर) हो, उसे अपना आवेदन पत्र अपने विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष की मार्फत भेजना चाहिए, जो आवेदन प्रपत्र के अन्त में दिए गए प्रमाणक को भर कर आयोग को भेज देगा। ऐसी उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति सीधे आयोग को भेज दे। उस अग्रिम प्रति के साथ यदि निर्धारित शुल्क जमा किया होगा तो उसे अनन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा परन्तु मूल आवेदन पत्र सामान्यत अंतिम तारीख के बाद 15 दिन के भीतर आयोग के पास पहुंच जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, जो पहले से ही सरकारी सेवा में है, निर्धारित फीस के साथ आवेदन की अग्रिम प्रति नहीं भेजता है अथवा उसके द्वारा भेजा गया अग्रिम आवेदन पत्र अंतिम तारीख को या उससे पूर्व आयोग के कार्यालय में नहीं पहुंचता है तो अपने विभाग या कार्यालय अध्यक्ष की मार्फत प्रस्तुत उसके मूल आवेदन पत्र पर, यदि वह भी अंतिम तारीख के बाद आयोग के कार्यालय में पहुंचता है, विचार नहीं किया जाएगा।

10. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. किसी भी उम्मीदवार को आयोग से प्राप्त प्रवेश-प्रमाण पत्र के बिना परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

12. यदि किसी उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी बात के लिए आयोग द्वारा दोषी ठहराया गया हो—

(i) किसी जरिए से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना , या

(ii) किसी दूसरे व्यक्ति की जगह परीक्षा देना , या

(iii) किसी अन्य व्यक्ति का नाम धारण करना, या

(iv) जाली प्रमाण पत्र आदि पेश करना या प्रमाण पत्रों आदि में फेरबदल करना, या

(v) गलत या झूठे विवरण देना अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना, या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता बरतना या अनुचित उपाय अपनाना, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में नकल आदि करना, या

(viii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, या

(ix) पूर्ववर्ती धाराओं में उल्लिखित किसी या सभी वर्जित काम करने का प्रयास करना अथवा आयोग को उत्तेजित करना , तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के अलावा उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित किया जा सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है ; अथवा

(ख) उसे सदैव के लिए या किसी नियत अवधि के लिए—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक परीक्षा या चयन से आयोग तथा;

(ii) सरकार के अधीन किसी भी रोजगार के लिए केन्द्र सरकार अपात्र घोषित कर सकती है, तथा

(ग) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में है तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जा सकती है।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर लेता है, उसे आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

14 परीक्षा के बाद आयोग प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनके योग्यताक्रम से उनके नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों पर भर्ती के लिए योग्यताक्रम के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा जो, परीक्षा में योग्य पाए गए हों।

परन्तु यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए नियत पदों को, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक सामान्य स्तर के आधार पर, नहीं भरा जा सकता है तो आयोग आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए सामान्य स्तर में छूट देकर नियुक्ति के लिए उनके नामों की अनुशंसा करेगा बशर्ते कि परीक्षा में योग्यताक्रम के स्थान के अतिरिक्त वे इस सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य हों।

15. उम्मीदवारों को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग करेगा और परिणाम के संबंध में आयोग उनके साथ कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

16 परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करते समय विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदनपत्र में व्यक्त प्राथमिकता का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा।

17 परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही किसी उम्मीदवार को तब तक नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि सरकार समुचित जांच-पड़ताल के बाद इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि चरित्र और पूर्ववृत्त को देखते हुए वह उम्मीदवार हर प्रकार से पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है।

18 उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह अपने पद से कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि 'यथा स्थिति' सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षा के बाद उम्मीदवार के बारे में यह पता लगे कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता तो उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति की संभावना है केवल

उन्हीं की शारीरिक परीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षा के समय उम्मीदवार को संबंधित चिकित्सा बोर्ड को 16 रु० फीस देनी होगी।

नोट:—बाद में निराश न होना पड़े, इस लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें। राजपत्रित पदों पर नियुक्ति से पहले उम्मीदारों की स्वास्थ्य परीक्षा होगी और उसके लिए जिस स्वास्थ्य का स्तर होना अवाश्यक है उसका ब्यौरा परिशिष्ट-II में दिया गया है। रक्षा सेवा में अपंग हुए भूतपूर्व कार्मिकों तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान फौजी कारवाई में अपंग हुए और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को, पदों की अपेक्षाओं के अनुरुप स्तर में छूट दी जाएगी।

19. कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र नही होगा :—

(क) जिसने किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का निश्चय किया जो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित होते हुए किसी अन्य महिला/पुरुष से विवाह किया हो अथवा करने का निश्चय किया हो;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष के वयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण है, तो वह इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है।

20. इस परीक्षा के द्वारा जिन पदों पर नियुक्ति की जाएगी उससे संबंधित सेवा भर्ती का सक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है।

ए० एस० देशपाडे,
अवर सचिव

परिशिष्ट—I

परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार होगा :—

भाग 1:—नीचे के पैरा 2 में दिए गए विषयों में लिखित परीक्षा होगी।

भाग 2:—जिन उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षा के संबध में साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा बुलाया जाएगा, उसके पूर्णांक 200 होंगे (देखिए निम्न पैरा 7)

2. लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे :—

विषय	निर्धारित समय	पूर्णांक
(1)	(2)	(3)
(1) अंग्रेजी (निबन्ध और सार लेखन सहित)	3 घंटे	100
(2) सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
(3) सामान्य भू-विज्ञान, भूआकृति विज्ञान तथा संरचना भूविज्ञान	3 घंटे	200
(4) स्पष्ट विज्ञान, खनिज विज्ञान भूरसायन तथा शैल विज्ञान	3 घंटे	200
(5) स्तर विज्ञान तथा जीवाश्म विज्ञान	3 घंटे	200
(6) आर्थिक भूविज्ञान, भारतीय खनिज भंडार खनिज समन्वेषण तथा खनिज अर्थशास्त्र	3 घंटे	200
(7) जल विज्ञान	3 घंटे	200

ध्यान दें :—वर्ग 1 और वर्ग 2 अर्थात् दोनों वर्गों के पदों की परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को उपर्युक्त सभी सातों विषय लेने होंगे। केवल वर्ग 1 के पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को केवल उपर्युक्त (1) से (6) तक विषय लेने होंगे तथा केवल वर्ग 2 के पदों के लिए परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को उपर्युक्त (1) से (5) तक और क्रम संख्या (7) के विषय लेने होंगे।

3. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अनिवार्यत: अंग्रेजी में लिखे जाएं।

4. उम्मीदवारों की सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिएं किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. परीक्षा का पाठ्य विवरण और स्तर वही होगा जो संलग्न अनुसूची में विहित है।

6. आयोग को अपने निर्णय में परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित करने का अधिकार है।

7. व्यक्तित्व परीक्षा में उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता, पहले, बौद्धिक चाव, व्यवहार कुशलता तथा अन्य सामाजिक गुणो मानसिक व शारीरिक क्रियाशीलता, उसके व्यावहारिक उपयोग की शक्ति, चरित्र निष्ठा तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की योग्यता की जाच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

8. सतही ज्ञान के लिए अंक नही दिए जाएंगे।

9. अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखित विषयो के पूर्णांक के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

10. परीक्षा के सभी विषयों में क्रमिक, प्रभावी और ठीक अभिव्यक्ति के साथ-साथ संक्षेप में दिए गए उत्तरों को श्रेय दिया जाएगा।

अनुसूची

स्तर और पाठ्य-क्रम

अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान से सम्बद्ध प्रश्नपत्रों का स्तर वही होगा जिसकी विज्ञान के किसी स्नातक से उम्मीद की जाती है। भूविज्ञान के विषयो के प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग भारतीय विश्वविद्यालय की एम० एस० सी० डिग्री स्तर के बराबर होगा और आमतौर पर प्रश्न इस प्रकार होंगे कि उनसे प्रत्येक विषय के मूल तत्व समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परख की जा सके।

किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी ।

(1) अंग्रेजी (निबंध और सार लेखन सहित)

अंग्रेजी लिखने और समझने की शक्ति की जांच करने के लिए प्रश्न होंगे । सामान्यतः संक्षेप या सार लेखन के लिए लेखांश दिये जाएंगे ।

(2) सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन के निरीक्षण तथा अनुभव की ऐसी बातों के वैज्ञानिक पक्ष का ज्ञान जिनकी आशा किसी भी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है जिसने विज्ञान के किसी विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास तथा भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर देने में उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन किए ही सक्षम होना चाहिए ।

(3) सामान्य भूविज्ञान, भू-आकृति-विज्ञान तथा संरचना भूविज्ञान

1. सामान्य भूविज्ञान : पृथ्वी का उद्भव, महाद्वीप और सागर—उनका विभाजन, विकास तथा उद्भव । महाद्वीपीय विस्थापन, सागर विस्तार तथा प्लेट—विवर्तनिकी की संकल्पना । प्राचीन जलवायु—शास्त्र और उनका महत्व, भू-संतुलन । पुरा चुम्बकीय विज्ञान, रेडियोधर्मिता और भूविज्ञान में उसका अनुप्रयोग । भूकालक्रम तथा पृथ्वी की आयु । भूकम्प विज्ञान तथा पृथ्वी की आन्तरिक स्थिति । उल्काश्म । विस्तीर्ण अभिनति तथा उनका वर्गीकरण । ज्वालामुखी क्रिया, द्वीप आर्क, गहन-सागर सुरंगें तथा समुद्रवर्ती टीला प्रवाल—भित्ति । भूस्थिरता । पर्वत रचना और भूख- जनक तथा पर्वत रचना कालक्रम ।

2. भूआकृति विज्ञान : मूल संकल्पना तथा महत्व, भू-आकृति प्रक्रिया तथा उनके मानक, भू-आकृति-क्रम तथा उनका निर्वचन । भारतीय उपमहाद्वीप की भू-आकृति विशिष्टताएं सथलाकृति तथा संरचना से इसका संबंध । तराई क्षेत्र विकास । भू-वर्तुल ।

3. संरचना भूविज्ञान : चट्टानों के भौतिक गुण धर्म प्रतिबल और विकृति दीर्घवृतज्ञ निरूपण । भ्रंशन और सिकुड़न—उनकी यांत्रिकी । प्राथमिक संरचनाएं तथा उनका महत्व । रेखांकन, परत-संरचना, तथा सभेद, पप्टोन—डायापिर तथा लवण गुम्बद। संस्तरों के शीर्षों और पेंदों को पहचानना । विषम विन्यास, पटल-विरूपण । शैल तन्तु विश्लेषण और इसका लेखाचित्र प्रदर्शन ।

4. क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान, शिला विज्ञान तथा भू-रसायन

(क) क्रिस्टल विज्ञान :

सत्रस्थिति तत्व तथा क्रिस्टल का वर्गीकरण । प्रक्षेपण, वर्तुलाकार तथा सभरूपी, कोसमापी । 32 श्रेणियां (पाइंट वर्ग) । विन्यास जाल और विन्यास वर्ग । एक्सरे क्रिस्टल विज्ञान के मूल सिद्धांन्त । युग्म तथा क्रिस्टल अपूर्णताएं ।

(ख) खनिज विज्ञान

(i) वर्णनात्मक

परमाणु संरचना । क्रिस्टल में पेकिंग और बोन्डिग । परमाणु प्रतिस्थापन्—किस्म संरचना भौतिकी विद्युत्, चुम्बकीय तथा खनिज के तापीय गुणधर्म । संरचना और सिलिकेट का वर्गीकरण निम्नलिखित खनिजों और वर्गों का अध्ययन :

आर्थो तथा रिंग सिलिकेट ।

आलिवीन वर्ग, गारनेट वर्ग, एपिडोट वर्ग तथा मेलिलाइट वर्ग । जर्कन, स्पीन, सिलिमिनाइट एंडालुसाइट, काइनाइट, टोपाज, स्टोरोलाइट, बेरिल कोर्डाराइट, टूरमेलिन ।

चेन सिलिकेट

पाइरोक्सीन वर्ग तथा एम्फीबोल वर्ग बुलस्टोनाइट तथा रोडोनाइट

शीट सिलिकेट

अभ्रक वर्ग, कनाराइट वर्ग तथा मिट्टी खनिज ।

सिलिकेट ढांचा

- फेल्सपार वर्ग, सिलिका खनिज, फेल्डसपेथोइड वर्ग, जोओलाइट वर्ग तथा स्केपालाइट वर्ग ।

गैर सिलिकेट

आक्साइड, हाइड्रोआक्साइड कार्बोनेट्स फास्फेट्स हैलाइड्स, सल्फाइड्स तथा सल्फेट्स ।

(ii) प्रकाशीय खनिज विज्ञान :

प्रकाशिकी के सामान्य सिद्धांन्त ; प्रकाशीय उपांग ; रिफ्रिनजेंस; वाई रिफ्रिजेंस लोप-कोण, पाइ क्रोइण; प्रकाशीय एक्सिघुसाइड, प्रकारीय कक्षकोण, प्रकाशकी अनुसंधान; विखंडन, प्रकाशनीय विषमताएं ।

सार्वभोम स्थिति और इसके उपयोग

(ग) शिला विज्ञान

(i) आग्नेय :

रूप संरचनाएं, बनावट और वर्गीकरण । महत्वपूर्ण वर्गों का वर्णन ग्रेनाइट, ग्रनोडाइराइट-डाइराइट, साइनाइट नेफलीन साइनाइट, गैबरो-पेरीडोराइट-ड्युनाइट । डोलेराइट तथा लैम्पोफायर्स पेगमेटाइट तथा एपलाइट । इजोलाइट और कारबोनेटाइट । राजोलाइट-ट्रेक्टाइट-छेसाइट । एंडेसाइट तथा बैसाइस्ट ।

सिलिकेट पद्धति में प्रावस्था नियत और संतुलन । दो अवयव तथा तीन अवयव पद्धतियां । क्रिस्टलीकरण का क्रम । प्रतिक्रया सिद्धान्त । मैगमा-वैसाल्टिक । मैगमा का क्रिस्टलीकरण । शिलाओं के प्रकार । समीकरण विभिन्न मानचित्र । ग्रेनाइट मोनोमिनरेलिक शैल, क्षारीय शैल, कार्बोनेटाइट, पैगमाटाइट और लम्पोफायर्स ।

(ii) तलछटी :

तलछट शैलों का वर्गीकरण और बनावट । तलछाटन का उद्भव । बनावट और संरचना । तल छट शैलों के महत्वपूर्ण वर्गों का अध्ययन तलछाटन का यांत्रिकी विश्लेषण । प्रक्षेपण की विधियां । तलछाटन का उद्गम स्थान । प्रक्षेपण पर्यावरण भारी खनिज तथा उनका महत्व लिथिफोकेशन तथा डाइजेनिसिस ।

(iii) **रूपांतरण**

कायांतरा के उपादान। किस्म, नियंत्रण संरचनाएं, ग्रेड तथा फेसिस। रूपांतरण भिन्नताएं। रासायनिक प्रतिस्थापन और ग्रेनाइटकरण, मिगमेटाइट, ग्रेन्यूलाइट चारनोकाइटस, एम्पोपोलाइट, चिस्ट, नाइस तथा हार्नफेल्स। मगमा तथा ओरोजेनी के संबंध में रूपांतरण।

(घ) भूरसायन

भूरसायन का क्षेत्र, तत्वों की कास्मिक बहुलता, पृथ्वी की प्राथमिक भूरसायन भिन्नताएं; तत्वों का भूरसायनिक वर्गीकरण। विभिन्न किस्म की शिलाओं में अनुरेखण तत्व। जलीय भूरसायन।

तलछाटन भूरसायन, भूरसायन क्रम तथा भूरसायन पूर्वेक्षण के प्रारंभिक सिद्धांत।

5. स्तरित शैल विज्ञान तथा जीवाश्म विज्ञान

1. स्तरित शैल विज्ञान :

स्तरित शैल विज्ञान के सिद्धांत और अभिधान। विश्व स्तरित शैल विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान की रूपरेखा विभिन्न भूविज्ञान पद्धतियों और मुख्य पार्वतिक कालक्रम के ज्ञान सहित। गोंडवाना प्रणाली और गोंडवाना भूमि के अन्य भागों में इसकी समतुल्य बातों का ज्ञान।

भारतीय उप-महाद्वीप (भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा श्रीलंका) का स्तरित शैल विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान। मुख्य भारतीय कलाकृतियों का सहसंबंध तथा इन कलाकृतियों और संरचनाओं की आयु समस्याओं जैसे विन्ध्या ग्रुप, सैलाइन सीरीज, गोंडवाना हिमाच्छादन, दक्षिणी पठार, और क्रिटेशिसुस टेरशियर सीमा का आलोचनात्मक अध्ययन।

2. जीवाश्म विज्ञान :

(क) जीवाश्म, उनकी प्रकृति, परिरक्षण विधियां और उपयोग। आकृति विज्ञान, अवशेषकी का भूवैज्ञानिक इतिहास तथा कोरस, ग्रेचिओपोडस, लमेलिब्रांचिस, एसोनाइट्स, ग्रेस्ट्रोपोडस, ट्रिलो बाइट्स, इचोनोडर्म्स, ग्रेपटोलाइट्स तथा पोरामिनिफर्स।

(क) रीढ़दार जंतु : गोंडवाना और शिवालिक जीवजन्तुओं के विशेष उल्लेख के साथ रीढ़दार जानवरों के प्रमुख वर्ग। मानव, हाथी तथा घोड़े का ऐतिहासिक विकास।

(ग) पौधे :—फौसिल वनस्पति, गोंडवाना वनस्पति के विशेष उल्लेख के साथ इसका महत्व और विभाजन।

(घ) सूक्ष्म-फासिल विज्ञान : फोरामिनिफेरिडस, उनकी इकोलोजी तथा पेलिओइकालोजी के विशेष सन्दर्भ में इसका महत्व।

6. आर्थिक भूविज्ञान, भारतीय खनिज भंडार खनिज समन्वेषण तथा खनिज अर्थशास्त्र

(क) आर्थिक भूविज्ञान :

खनिज भंडार—निर्माण प्रक्रिया स्थानीयकरण तथा परा-जेनिसिस का नियंत्रण। धातुक तथा अ-धातुक खनिजों का अध्ययन। ईंधन। औद्योगिक शिलाएं तथा खनिज रत्न तथा अर्द्धमूल्यवान खनिज।

(ख) भारतीय खनिज भंडार :

निम्नलिखित धातुओं तथा धातुकों और खनिजों के भारतीय भंडार, उनका वितरण, उद्गम और प्राप्ति प्रक्रिया।

(क) तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, मेग्नेसियम, लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, स्वर्ण, चांदी, टंगस्टन और मालबेडनम।

(ख) अभ्रक, वर्मीकुलाइट, एसबेसट्स, वैराइट्स, ग्रेफाइट, जिप्सम, गेरू, मूल्यवान तथा अर्द्ध मूल्यवान खनिज रेफरेक्ट्री, खनिज, अपधर्वी तथा खनिज मिट्टियां, सीसा, उर्वरक और सीमेंट उद्योग संबंधी खनिज रंग और रोगन तथा इमारती पत्थर।

(ग) कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तथा परमाणु ऊर्जा खनिज।

(ग) खनिज समन्वेषण तथा खनिज अर्थशास्त्र :

(क) भूतल और भूगर्भीय समन्वेषण की विधियां, समन्वेषण में प्रयुक्त क्षेत्रगत-उपकरण तथा क्षेत्र परीक्षण, अयस्क भंडारों की खोज, नमूनाकरण निर्धारण पूर्वेक्षण मूल्यांकन संबंधी निर्देश तथा खनिज समन्वेषण में भू-भौतिकीय, भूरासायनिक और भूवनस्पति सर्वेक्षण।

(घ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का महत्व, खनिज तथा निर्माण उद्योगों में विभिन्न खनिजों का उपयोग, मांग और पूर्ति तथा स्थानापन्न वस्तुएं, भारत में मुख्य खनिजों का उत्पादन और मुख्य खनिज उद्योगों का अन्तर्राष्ट्रीय पहलु, सामरिक, नाजुक और मूल्यवान खनिज। भारत में खनिज रियायत नियमावली मूल सिद्धांत, संरक्षण तथा राष्ट्रीय खनिज नीति।

7. जल विज्ञान

जलीय-चक्र

भूसतह में जल का फैलाव जलीय चक्र और में भू-जल। भू-जल की उत्पति, उल्का, जुवेनिल और मैग्मैटिक जल, चट्टानों स्रोतों की जल धारण क्षमताओं के साथ उनका वर्गीकरण, जल परतों की इकाइयों, भू-जल स्थानों की भू-गर्भीय बनावट भू-जल क्षेत्री।

भू-जल भंडार-एक्वीकर, एक्यूलयूड, एक्यीटाईस।

शिलाओं का जलीय गुणधर्म (भूमिगत जलाशय) छिद्रलता, अनन्य अनुपात, प्रसरणशीलता, पारगम्यता, संचयशीलता।

विशिष्ट उत्पाद, विशिष्ट धारिता विसरण शीलता, बैरीकीटरी और भूकम्पीय क्षमता।

भूगर्भीय जलाशयों का वर्गीकरण—असीमित सीमत, सोतदार और सोतरहित जलाशय तटीय जलाशय।

भूगर्भीय जलाशय के गुणवर्गों की पहचान विधियां—कूप-उत्खनन विधियों और प्रयोगशाला तकनीकों से प्रसरणशीलता तथा विशिष्ट उत्पाद। संचयशीलता की परख। भूगर्भीय जल

के सचलन की शक्तिया—जल पटल, आधारमापी सतह, तरलतातत्व, घनत्व-अन्तर, जलीय रसायन (धात्विक) भू-गर्भीय जल सचलन के नियम डार्सी का नियम।

भूजल का पुनरसचलन—कृत्रिम तथा प्राकृतिक, रिचार्ज का नियत्रणकारी कारक, भूजल का सश्लेषक और क्षयकारी उपयोग।

भू-जल के समन्वेषण की ऊपरी भूगर्भीय विधिया।

भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिक जल सतुलन भूगर्भीय जल निकासी की तकनीकें (कूपों के प्रकार, विभिन्न प्रकार की चट्टानों से अधिकतम जल प्राप्ति हेतु कूप-निर्माण विधिया)।

भूगर्भीय जल की रासायनिक विशेषताए और उसके विभिन्न उपयोग—घरेलू औद्योगिक सिचाई सबधी।

परिशिष्ट 2

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे मे विनियम

ये विनियम उम्मीदवारो की सुविधा के लिये प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अभीष्ट शारीरिक स्तर के है या नही। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षको के लिये भी सामान्य निर्देश है तथा जो उम्मीदवार इन विनियमो मे निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओ को पूरा नही करता उसे स्वास्थ्य परीक्षक स्वस्थ घोषित नही कर सकेंगे। किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमो मे निर्धारित मानदड के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह, लिखित रूप मे स्पष्ट कारण देते हुए, भारत सरकार से यह सिफारिश कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सरकारी सेवा मे लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नही होगी।

किन्तु यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिये कि भारत सरकार स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। रक्षा सेवाओ मे अपग हुए भूतपूर्व सैनिकों तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध मे फौजी कारवाई के दौरान अपग हुए और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियो के लिये पदो की अपेक्षाओ के अनुरूप स्तर मे छूट दी जाएगी।

1 नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने मे बाधा पडने की सभावना हो।

2 भारतीय (एग्लो-इडियन सहित) मूल के उम्मीदवारो की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर सबध के बारे मे मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड दी गई है कि वह उम्मीदवारो की परीक्षा मे मार्ग-दर्शन के रूप मे जो भी परस्पर सबध के आकडे सब से अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार मे लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेर मे विषमता हो तो जाच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल मे रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड किसी उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य घोषित करेगा।

3 उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि मे मापा जाएगा —

वह अपने जूते उतार देगा उसे माप-दण्ड से इस प्रकार सटा कर खडा किया जाएगा कि उसके पाव आपस मे जुडे रहे और उसका वजन, सिवाय एडियो के पैरो की उगलियो या किसी और हिस्से पर न पडे। वह बिना अकडे सीधा खडा होगा और उसकी एडिया, पिडलिया नितम्ब और कधे माप-दण्ड के साथ लगे होगे। उसकी ठोडी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजेटल बार (आडी छड) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरो और आधी सेंटीमीटरो मे मापा जाएगा।

4 उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है —

उसे इस भाति सीधा खडा किया जाएगा कि उसके पाव जुडे हो और उसकी भुजाए सिर से ऊपर उठी हो। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा कधो के निचले भाग से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर वह उसी समानान्तर हालत मे रहे। फिर भुजाओ को नीचे किया जाएगा और उन्हे शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाए जिससे कि फीता हिल जाए। अब उम्मीदवार को कई बार लम्बी-लम्बी सास लेने के लिए कहा जाएगा और कम से कम तथा अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरो मे रिकार्ड किया जाएगा, 84-89, 86-93 5 आदि। माप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर के कम के अन्तर को नोट नही किया जाएगा।

ध्यान दें:—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार के कद और छाती की दो बार नाप की जाएगी।

5 उम्मीदवार का वजन भी लिया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामो मे रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम के वजन को नोट नही किया जाएगा।

6 उम्मीदवार की नजर की जाच निम्नलिखित नियमो के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जाच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(1) **सामान्य** —किसी रोग या दोष का पता लगाने के लिये उम्मीदवार की आखो की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आखो मे भैंगापन है या आखो, पलको अथवा आस-पास की बनावट मे दोष है जिससे भविष्य मे किसी भी समय सेवा के लिये उसके अयोग्य होने की सभावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) **दृष्टि की पकड़** (विजुअल एक्विटी) —दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिये दो जाचे की जाएगी, एक दूर की नजर के लिये और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आख की अलग से परीक्षा की जाएगी।

चश्मो के बिना (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नही होगी, किन्तु प्रत्येक केस मे मैडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योकि इससे आख की हालत के बारे मे मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा —

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आख	खराब आख	अच्छी आख	खराब आख
6/9 या 6/6	6/9 6/12	0 6	0 8

नोट —(1) निकट दृष्टि की कुल मात्रा (सिलिडर समेत) 4 00 डी० से अधिक नही होगी। दीर्घ दृष्टि की कुल मात्रा (सिलिडर समेत) + 4.00 डी० से अधिक नही होगी।

नोट —(2) फडस परीक्षा—जब सभव होगी मेडिकल बोड की इच्छा पर फडस परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किए जाएगे।

नोट —(3) कलर विजन—(i) रगो के सबध मे नजर की जाच जरूरी है।

(ii) नीचे दी गई तालिका के अनसार रगो का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडो मे होना चाहिए जो लेटर्न के द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हो।

ग्रेड	रग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1 लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4 9 मीटर	4 9 मीटर
2 द्वारक (एपर्चर) का आकार	1 3 मि० मीटर	1 3 मि० मीटर
3 दिखाने का समय	5 सैकण्ड	5 सैकण्ड

जन सुरक्षा सबधित सेवाओ उदाहरणार्थ पाइलट, ड्राइवर गार्ड आदि के लिए वर्ण दृष्टि का उच्चतर ग्रेड अनिवार्य है परन्तु अन्य सेवाओ के लिए वर्ण दृष्टि का निम्न ग्रेड पर्याप्त समझा जा सकता है। वर्ण-दृष्टि के सही, मानक, ऐसे सभी इजीनियरी कार्मिको पर लागू होने चाहिए जिनके बारे मे वर्ण पहचान अनिवार्य समझा जाता हो, चाहे उनका सबध क्षेत्र ड्यटी से हो या न हो।

(iii) लाल सकेत, हरे सकेत और सफेद रग को आसानी और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना सतोषजनक कलर विजन है। इशिहारा प्लेटो के इस्तेमाल को जिन्हे एडिज ग्रीनकी लेट्रेन जैसी उपयुक्त लैटर्न और अच्छे रोशनी मे दिखाया जाता है कलर विजन की जाच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनो जाचो मे से किसी भी एक जाच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सडक, रेल और हवाई यातायात से सबधित सेवाओ के लिए लैटर्न से जाच करना लाजमी है। शक वाले मामलो मे जब उम्मीदवार को किसी एक जाच करने पर अयोग्य पाया जाय तो दोनो ही तरीको से जाच करनी चाहिए।

नोट —(4) दृष्टि (फील्ड आफ विजन)—सभी सेवाओ के लिए सम्मुख विधि (कन्फ्रन्टेशन मैथड) द्वारा पुष्टि क्षेत्र की जाच की जाएगी। जब ऐसी जाच का नतीजा असतोषजनक या सदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परमापी (पैरोमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

नोट —(5) रतौधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलो को छोडकर रतौधी की जाच नेमी रूप से जरूरी नही है, रतौधी या अधेरे मे दिखाई न देने की जाच करने के लिये कोई नियत स्टैन्डर्ड टैस्ट नही है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अधेरे कमरे मे ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजो की पहचान करवा कर दृष्टि की पकड रिकार्ड करना। उम्मीदवारो के अपने कथनो पर पूर्ण विश्वास नही करना चाहिए किन्तु उन पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए।

नोट —(6) दृष्टि की पकड से भिन्न आखों की अवस्थाए (आक्यूलर कडीशन्स) —

(क) आख की उन बीमारी को या बढती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड के कम होने की सभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रेकोमा)—यदि रोहे जटिल न हो तो वे आमतौर से अयोग्यता का कारण नही होगे।

(ग) भैंगापन (स्क्विंट) —द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजिमी है। नियत स्टैन्डर्ड की दृष्टि की पकड होने पर भी भैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(घ) एक आख वाले व्यक्ति —नियुक्ति के लिए एक आख वाले व्यक्तियो की सिफारिश नही की जाती।

7 रक्त-चाप (ब्लड प्रैशर) —

ब्लड प्रैशर के सबध मे बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रैशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है —

(1) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियो मे औसत ब्लड प्रैशर लगभग 100 जमा आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दें —सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर से सिस्टालिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को सदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइट-मेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई शारीरिक (आर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्स-रे और इलैक्ट्रोकार्डियाग्राफिक परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (क्लीयरेन्स) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

रक्त-चाप (ब्लड प्रेशर) लेने की विधि

नियमत पारे वाले दाबमापी (मर्करी मैनो मीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रुमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त चाप नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेष कर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। लगभग लेटी हुई स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समानान्तर लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचो बीच स्टेथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एमएम हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की हवा हुई तो लुप्तप्राय हो जाए, वह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि गलत हो जाता है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकालकर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है। इस "साइलेंट-गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है)।

8 परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनिक तरीका द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड उसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीस) के लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि कोई उम्मीदवार को ग्लूकोस मेह (ग्लाइकोसूरिआ) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टेंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लुकोज मेह अमधुमेही (नान-डायबेटिक) हो और बोर्ड रोगी को मेडिकल के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस-टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" या "अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होता। औषधी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9 यदि जांच के परिणाम स्वरूप कोई औरत उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसको प्रसूती न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक से आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूती की तारीख के 6 हफ्ते बाद प्रमाण-पत्र के लिए, उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

10 निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण किया जाए —

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से ठीक सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की कोई बीमारी तो नहीं है, इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्यक्रिया (आपरेशन) या श्रवण-यंत्र (हियरिंग एड) के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को उस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए —

(1)	एक कान में काफी अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरे कान का सामान्य होना।	यदि बहरापन व उच्चतर आवृत्तियों में 30 डेसीबेल तक है तो तकनीकी कार्यों के लिए योग्य।
(2)	दोनों कानों में ही अनुरोपक बहरापन जिसमें हियरिंग एड द्वारा कुछ सुधार संभव है।	यदि बहरापन 1000 से 4000 तक की वाणी आवृत्तियों में 30 डेसीबल तक है तो तकनीकी और अतकनीकी दोनों ही कार्यों के लिए योग्य है।

(3) मध्यवर्ती अथवा सीमान्तक प्रकार के कर्णपट्टी झिल्ली का छेदन।	(i) एक कान सामान्य दूसरे कान मे कर्णपट्टी झिल्ली का छेदन की उपस्थिति अस्थाई रूप से अयोग्य। कान शल्य चिकित्सा की सुधरी हुई स्थितियों मे उम्मीदवार को, सीमान्तक अथवा दोनो कानो मे अन्य छेदन होने पर, अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित कर मौका देना चाहिए और उस पर निम्नलिखित 4 (ii) के अधीन विचार किया जाना चाहिए।	
	(ii) दोनों कानो मे सीमान्तक अथवा मध्य-कर्णगुहा के एक भाग मे छेदन अयोग्य।	
	(1) दोनो कानो मे मध्यवर्ती छेदन अस्थायी रूप से अयोग्य।	
(4) एक/दोनों कानों मे घाव आदि के कारण कम सुनाई देना।	(i) एक कान सामान्य सुनाई देने योग्य दूसरा कान घाव जैसे छेद का हो—तो तकनीकी व अतकनीकी दोनों रोजगार के लिए योग्य।	
	(ii) दोनो कानो के घाव जैसे छेद होने पर तकनीकी रोजगार के लिए अयोग्य किन्तु गैर-तकनीकी कार्यों के लिए योग्य। यदि हियरिंग एड से अथवा उसके बिना किसी भी कान मे श्रवण शक्ति 30 डेसीबल तक सुधर जाती है।	
(5) बहने वाले कान आपरेशन/ पूर्व आपरेशन बाद।	(i) तकनीकी और अतकनीकी दोनो ही कार्यों के लिए अस्थायी रूप मे अयोग्य।	
(6) नासिका पटल की हड्डी के दोष पूर्ण होने या न होने पर नासिका की स्थायी सूजन/तीव्र संवेदन शीलता (एलर्जी)।	(i) प्रत्येक रोग मे परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा।	
	(ii) यदि नाक के पर्दे मे कोई खराबी है और उसके लक्षण दिखायी देते है, तो अस्थायी रूप से अयोग्य।	
(7) टोनसिलों और/या कंठ की पुरानी सूजन स्थितियां।	(i) टोनसिलो और/अथवा कठ की पुरानी सूजन योग्य।	
	(ii) अत्यधिक फटी आवाज हो तो अस्थायी रूप मे अयोग्य	
(8) नाक, कान और गले की सामान्य या घातक रसौली	(i) सामान्य रसौली—अस्थायी रूप से अयोग्य।	
(9) कर्णरोग	(ii) घातक रसौली—अयोग्य यदि शल्य चिकित्सा के बाद अथवा हियरिंग एड की सहायता से श्रवण 30 डेसीबलो के भीतर है, तो योग्य।	
(10) कान, नाक और गले की जन्मजात खराबिया।	(i) यदि काम करने मे बाधा नही होती है तो योग्य।	
	(ii) अत्यधिक हकलाना अयोग्य।	
(11) नासिकापोली	अस्थायी रूप से अयोग्य।	

(ख) उम्मीदवार बोलने मे हकलाता नही हो।

(ग) उसके दात अच्छी हालत मे है या नही, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दात लग है या नही। (अच्छी) तरह भरे हुए दात को ठीक समझा जाएगा।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नही और छाती काफी फैलती है या नही तथा उसका दिल और फेफडे ठीक है या नही।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी तो नही है।

(च) उसे हर्निया तो नही है।

(छ) उसे अंड वृद्धि (हाइड्रोसील), अडशिरा फैलाव (वेरिकेसील), अडकोश-सूजन (वेरिकोज,) या बवासीर है या नही।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नही और उसके सभी जोडो मे ठीक और स्वतत्र गतिशीलता है या नही।

(झ) उसे कोई त्वचा की पुरानी बीमारी तो नही है।

(ञ) कोई जन्मजात कुरूपता या दोष तो नही है।

(ट) उसमे किसी पुरानी या जीर्ण बीमारी के लक्षण तो नही है जिससे उसके शरीर के कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) उसके शरीर मे टीके के निशान है या नही।

(ड) उसे कोई छूत का रोग तो नही है।

12. दिल और फेफडे की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलो मे सही रूप मे छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र मे अवश्य नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए, कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षता के साथ ड्यूटी देने मे इससे बाधा पड़ने की सभावना है या नही।

नोट—उम्मीदवारो को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त पदो के लिए उसकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त विशेष स्थायी मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई

हक नही है । किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जाच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में, प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे सकती है । ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख से एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे मे प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण पत्र पेश करें तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नही किया जाएगा जब कि इसमें संबधित मेडिकल प्रेक्टिशनर का इस आशय का नोट नही होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका है ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्ग दर्शाने के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे मे यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी को, यह तसल्ली नही होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दोष (बाडिली इनफर्मिटी) नही है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबंधित है जितना कि वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारो के मामलों मे अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगार सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नही दी जानी चाहिए जब कि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों मे निरन्तर कारगर सेवा मे बाधक पाया गया हो ।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप मे शामिल किया जाएगा ।

भू-वैज्ञानिक (कनिष्ठ) और सहायक भू-वैज्ञानिक के पदों पर नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को भारत मे और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी पड़ सकती है । ऐसे उम्मीदवार के मामले में चिकित्सा बोर्ड को विशिष्ट रूप से अपनी राय रिकार्ड करनी चाहिए कि वह क्षेत्र-गत सेवा के योग्य है या नही ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए ।

ऐसे मामलो में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बताने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (औषधी या शल्य चिकित्सा) द्वारा पूरी हो सकती है वहा मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए ।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीद्वार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब यह खराबी दूर हो तो एक दूसरे मैडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबन्धित प्राधिकारी स्वतंत्र हैं ।

यदी कोई उम्मीद्वार अस्थायी तौर से अयोग्य करार दिए जाएं तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परोक्षा हो तो ऐसे उम्मीद्वारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मेडिकल परीक्षा पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

1. अपना पूरा नाम लिखें ————————————
   (साफ अक्षरों में) ————————————
2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं ————————————

2(क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड आदिम जाति आदि मे से किसी जाति से संबंधित है जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है, "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए, और यदि उत्तर "हाँ" में हो तो उस जाति का नाम बताइए ।

3(क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार ग्रंथियां (ग्लैन्ड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे रुपमेटिजम एपेंडिसाइटिस हुआ है ।

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शैया पर लेटे रहना पड़ा हो, और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का अन्तिम टीका कब लगा था?
5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है?

6. अपने परिवार के संबध मे निम्नलिखित ब्यौरा दें:—

यदि पिता जीवित हो तो उस की आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता जी की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयो की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हो तो उस की आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है? ————————

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर "हां" हो तो बताइए किन सेवाओं /पदो के लिए आपकी परीक्षा की गई थी? ————————

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था?————————

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड बैठा ?————————

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो————————

मैं घोषित करता हूं कि जहा तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक है ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर————

मेरे सामने हस्ताक्षर किए ।

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर ————

नोट:—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा । जानबूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) ————————की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ।

1. सामान्य विकास अच्छा ————————
बीच का ————————कम————
पोषण / पतला———— ————औसत————
————-मोटा————कद ————
जूते उतार कर वजन————वजन मे. कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन ————————
तापमान ————————
छाती के घेर ————————
(1) पूरा सांस खीचने पर ————————
(2) पूरा सांस निकालने पर ————————

2. त्वचा ————————कोई जाहिरी बीमारी ————————

3. नेत्र

(1) कोई बीमारी ————————
(2) रतौंधी ————————
(3) कलर विजन का दोष ————————
(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)————
(5) परख्स की जाच ————————
(6) दृष्टि की पकड़ (विजीअल ऐक्विटि) ————
(7) स्टोरियों स्कोयिक फ्यूजन की समर्थता————

दृष्टि की पकड़	चश्में के बिना	चश्में में	चश्में की पावर मील सिल० अक्षा
दूर की नजर			
दा० ने०			
बा० ने०			
पास की नजर			
दा० ने०			
बा० ने०			
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)			
दा० ने०			
बा० ने०			

4. कान: निरीक्षण ————————सुनना ।
दायां कान ————————बाया कान ————————

5. ग्रंथियाँ————————थाइराइड————————

6. दांतों की हालत ————————

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सास के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्यौरा दें ?

8. परिसचरण तंत्र (एक्युलैस्टी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लोजन)
गति (रेट) :
खड़े होने पर :
25 बार कुदाए जाने के बाद ————————
कुदाए जाने के दो मिनट बाद ————————

(ख) ब्लड प्रेशर ———————————
सिस्टालिक ———————————
डायस्टालिक ———————————

9. उदर (पेट) : पैर ——————————— दाब वेदना (टेंडरनेस) हर्निया ———————————

(क) सुस्पष्टतया, जिगर ——————— तिल्ली ——— ——————— गुर्दे ——————— ट्यूमर ———————————

(ख) बवासीर के मस्से ——————— फिरचुला ———

10. तांत्रिक तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्र का या मानसिक अशक्तता का संकेत ———————————

11. चाल तंत्र (लोको मीटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता ———————————

12. जनन-मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी) सिस्टम ।
हाइड्रोसील, वेरिकोसेल आदि का संकेत ।

मूत्र परीक्षा ———————————

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ।

(ख) कोपसपिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) एल्वयुमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) केशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट ।

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिस से उस सेवा हेतु जिसके लिए वह उम्मीदवार है, की ड्यूटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिए वह अयोग्य हो सकता है ?

टिप्पणी :

महिला उम्मीदवार की दशा में यदि यह पाया गया है कि वह बारह सप्ताह या उससे अधिक गर्भवती है, उसको विनियम 9 के द्वारा अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए ।

15(क) : कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक और निरन्तर निभाने की दृष्टि से किन किन सेवाओं के लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई है और किन किन सेवाओं के लिए वह सभी तरह से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए वह अयोग्य पाया गया है ?

———————————

———————————

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा के योग्य है ? ———————————

———————————

नोट :—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए :—

(1) योग्य (फिट)

(2) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण ———————————

(3) अस्थायी रूप से अयोग्य जिसका कारण ———————————

स्थान ——————— अध्यक्ष (चेयरमैन) ———————
तारीख ——————— सदस्य ———————

परिशिष्ट-III

इस परीक्षा के माध्यम से जिन पदों पर भरती की जा रही है उनसे संबंधित संक्षिप्त विवरण :

1- भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था

(1) भू - वैज्ञानिक (कनिष्ठ) श्रेणी - 1

(क) जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना जाएगा उनकी नियुक्ति 2 वर्ष की परखावधि पर की जाएगी । यह परखावधि आवश्यकता हुई तो बढ़ाई जा सकती है ।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था में निर्धारित वेतनमान :—

(1) भूवैज्ञानिक (जूनियर वेतनमान) रु० 700-40-900-द० रो० -40-1100-50-1300

(2) भूवैज्ञानिक (सीनियर वेतनमान) रु० 1100-50-1600

(3) निदेशक : रु० 1500-60-1800-100-2000

(4) उप महानिदेशक : रु० 2250-125/2-2500- द०-रो०-125/2-2750

(5) महानिदेशक, रु० 2250-120-2500*

*संशोधित वेतनमान अभी अधिसूचित नहीं हुए है ।

(ग) सरकार द्वारा समय समय पर ऐसे आशोधनों के अध्यधीन रहते हुए विभाग में उच्चतर ग्रेडों के पदों में पदोन्नतियां भर्ती-नियमों के अनुसार की जाएंगी ?

(घ) सेवा छुट्टी और पेंशन की शर्त वहीं है जिनका उल्लेख क्रमशः मूल नियमावली और सिविल सेवा नियमावली में किया गया है । इन नियमों में सरकार समय समय पर जो आशोधन करती है वे भी लागू होंगे ।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय-सेवाएं) नियमावली में निर्धारित है । इन नियमों में सरकार समय समय पर जो आशोधन करती है वे भी लागू होंगे ।

(च) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के सभी अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करनी होगी ।

2- सहायक भूविज्ञानी श्रेणी-II

(क) जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना जाएगा उनकी नियुक्ति 2 वर्ष की परखावधि पर की जाएगी । यह परखावधि आवश्यकता हुई तो बढ़ाई जा सकती है ।

(ख) निर्धारित वेतनमान : रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200

(ग) भू-वैज्ञानिक (श्रेणी-I जूनियर वेतनमान) संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम

से और अंशतः विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के उन सहायक भू-वैज्ञानिकों के अगले निम्न ग्रेड से उन भरती नियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जाएगी जिनमे समय समय पर सरकार द्वारा संशोधन होता रहेगा ।

(घ) सेवा छुट्टी और पेंशन की शर्तें वही है जिनका उल्लेख क्रमशः मूल नियमावली और सिविल सेवा नियमावली में किया गया है । इन नियमों में सरकार समय समय पर जो संशोधन करती है, वे भी लागू होंगे ।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली मे निर्धारित है, इन नियमों में सरकार समय समय पर जो संशोधन करती है, वे भी लागू होंगे ।

(च) सहायक भू-वैज्ञानिक को भारत के किसी भी भाग मे भारत से बाहर कही भी सेवा के लिए कहा जा सकता है ।

2. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड

(1) कनिष्ठ जल वैज्ञानिक, श्रेणी-1

(क) जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना जाएगा उनकी नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षावधि पर की जाएगी, जिसे यदि आवश्यक हुआ तो बढ़ाया भी जा सकता है ।

(ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड में निर्धारित वेतनमान.—

(1) कनिष्ठ जल वैज्ञानिक—रु० 700-40-900 द० रो० 4-0 1100-50-1300

(2) वरिष्ठ जल वैज्ञानिक—रु० 1100-50-1600

(3) निदेशक—रु० 1500-60-1800-100-2000

(4) मुख्य जल वैज्ञानिक—रु० 2250-125-2500

(ग) विभाग में उच्चतर ग्रेडों के पदों में पदोन्नतियां भर्ती नियम के अनुसार की जाएंगी जिसमें समय-समय पर सरकार द्वारा आशोधन किया जा सकता है ।

(घ) सेवा छुट्टी और पेंशन की शर्त वही है जिनका उल्लेख क्रमशः मूल नियमावली और सिविल सेवा विनियमो मे किया गया है। इन नियमों में सरकार समय-समय पर जो आशोधन करती है वह भी लागू होगे ।

भविष्य निधि की शर्तें सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाए) नियमावली में निर्धारित हैं । इस नियमावली मे समय-समय पर सरकार जो आशोधन करती है वह भी लागू होगे :

(च) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के सभी अधिकारियों को भारत के किसी भाग मे या भारत से बाहर कही भी सेवा करनी होगी ।

(2) सहायक जल वैज्ञानिक श्रेणी-2

(क) जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना जाएगा उनकी नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षावधि पर की जाएगी, जिसे यदि आवश्यक हुआ तो बढ़ाया भी जा सकता है ।

(ख) निर्धारित वेतनमान : रु० 650-30-740-35-810 द० रो० -35-880-40-1000-द० रो० -40-1200

(ग) कनिष्ठ जल विज्ञानी (श्रेणी-I) संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा द्वारा और अंशतः विभागीय पदोन्नति द्वारा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के अगले निम्न ग्रेड के उन सहायक जल-वैज्ञानिकों में से भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जाएगी जिनमें समय-समय पर सरकार द्वारा आशोधन किया जा सकता है ।

(घ) सेवा छुट्टी और पेंशन की शर्तें वही हैं जिनका उल्लेख क्रमशः मूल नियमावली और सिविल सेवा विनियमों में किया गया है । इन नियमों में सरकार समय-समय पर जो आशोधन करती है । वह भी लागू होंगे ।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें सामान्य भविष्य निधि केन्द्रीय सेवाएं नियमावली मे निर्धारित हैं । इस नियमावली मे सरकार समय-समय पर जो आशोधन करती हैं वह भी लागू होंग ।

(च) सहायक जल वैज्ञानिको को भारत अथवा भारत से बाहर कही भी सेवा करनी होगी ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनाक 16 सितम्बर 1975

सं० एफ० 1 (17)/75-एस० आर० 1—भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम (1956 के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक कम्पनी) के संगम की नियमावली के अनुच्छेद 94 (ए) की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, राष्ट्रपति उक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक डा० सी० वी० एस० रत्न की नियुक्ति को, 21 अगस्त, 1975 से आगे पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखते है ।

एस० सी० सेठ, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 22 अगस्त, 1975

संकल्प

स० 2-13/75-हि० नी०—25 मार्च, 1975 को हुई कृषि मन्त्रालय हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार, कृषि मन्त्रालय हिन्दी सलाहकार समिति की एक उप-समिति का गठन किया गया है। यह उप-समिति निम्न प्रकार होगी :—

सदस्य

1. श्री रमा प्रसन्न नायक, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार
2. श्री श्याम सुन्दर महापात्र, संसद सदस्य
3. श्री आंजनेय शर्मा, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास ।

संयोजक

4. डा० राजेन्द्र द्विवेदी, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

यह उप-समिति भारत सरकार की सामान्य राजभाषा नीति के अन्तर्गत कार्य करेगी और इस मन्त्रालय के सभी विभागों के

समस्त संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत संस्थाओं और अनुभागों में जाकर हिन्दी की प्रगति देखेगी और हिन्दी के प्रयोग और उसकी प्रगति से सम्बद्ध मामलों पर अपने सुझाव देगी। ये सुझाव समय-समय पर कृषि मन्त्रालय हिन्दी सलाहकार समिति में प्रस्तुत किए जायेंगे। इस समिति की कार्य अवधि मुख्य समिति की अवधि तक सीमित रहेगी। इस उप-समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

का० मु० अहमद, संयुक्त सचिव

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1975

संकल्प

सं० बा० नि०-37 (38)/75—17-18 जुलाई, 1975 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों के प्रथम सम्मेलन में परियोजनाओं की लागत में किफायत करने के लिए प्रभावी उपाय करने पर विचार किया गया था। सम्मेलन ने 1972 में भारत सरकार द्वारा बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि के कारणों की जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए विश्लेषणों को नोट किया जिनसे ऐसा संकेत मिला कि परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ भूमि के मूल्य तथा पुनर्वास कार्यों की लागतों में हुई वृद्धि के कारण हो जाती है। इन दोनों लागतों में असाधारण वृद्धि की प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो गई है जिससे सिंचाई और बहूद्देश्यीय परियोजनाओं के आर्थिक रूप में व्यवहार्य होने में बाधाएं आ जाती हैं। सम्मेलन ने समिति की उन सिफारिशों पर विचार किया कि जिनमें परियोजना की लागत में भूमि के मुआवजे और पुनर्वास व्यवस्था की लागतों में वृद्धि को गहराई से जांच करने पर बल दिया गया है। भूमि के लिए मुआवजा दरों को निश्चित करने के लिए एक मानक मान-दंड तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

1. प्रभावित लोगों के साथ न्याय संगत व्यवहार

2. भूमि की लागतों में किसी प्रकार की कृत्रिम वृद्धि तथा सट्टेबाजी को रोकना। इसके अतिरिक्त पुनर्वास कार्यों के मानदण्ड सम्बन्धी नीति में एकरूपता नहीं है और प्रत्येक राज्य में अपनाये गए मान-दंडों में बहुत भिन्नता होती है। अतः पुनर्वास कार्यों सम्बन्धी एक व्यापक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है जिसमें प्रत्येक मामले के गुणों-अवगुणों के आधार पर समुचित संशोधित करने की भी व्यवस्था हो। भूमि मुआवजा तथा पुनर्वास कार्यों-दोनों का ही ऐसी परियोजनाओं के मामलों में विशेष महत्व होता है जिनके लाभ किसी एक राज्य को मिलते हैं और भूमि और सम्पत्ति किसी दूसरे पड़ोसी राज्य में जलमग्न होती है। सम्मेलन ने सिफारिश की कि बृहत जल संसोधन परियोजनाओं के कारण निर्वासित हुए लोगों के लिए पुनर्वास कार्यों तथा भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय मान-दण्ड निर्धारित करने के प्रश्न को जांच करने के लिए मन्त्रियों की एक समिति का गठन किया जाए। इस सिफारिश को अनुपालन में भारत सरकार ने एक समिति का गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :

अध्यक्ष

(1) केन्द्रीय कृषि और सिंचाई उपमन्त्री

सदस्य

(2) सिंचाई मन्त्री, बिहार
(3) सिंचाई मन्त्री, गुजरात
(4) राजस्व मन्त्री, कर्नाटक
(5) राजस्व मन्त्री, मध्य प्रदेश
(6) सिंचाई मन्त्री, महाराष्ट्र
(7) सिंचाई मन्त्री, राजस्थान
(8) राजस्व मन्त्री, उत्तर प्रदेश

सदस्य-सचिव

(9) संयुक्त सचिव, सिन्धु, सिंचाई विभाग

2. समिति के विचाराधीन विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) कुछ महत्वपूर्ण एक राज्यीय और अन्तर्राज्यीय जल विकास परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण को मूल प्राक्कलनों में दी गई और वास्तविक पंचाट तथा/अथवा अदायगी की दरों और भू-स्वामियों तथा परियोजनाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित और न्याय-संगत मुआवजा निर्धारित करने की समस्याओं का विश्लेषण करना;

(2) कुछ राज्यीय और अन्तर्राज्यीय जल विकास परियोजनाओं में निर्वासित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए भूमि मुआवजे को ध्यान में रखते हुए, उनको दी गई सुविधाओं तथा पुनर्वास व्यवस्था की कोटि और पुनर्वास कार्यों के सामाजिक और कल्याण सम्बन्धी पहलुओं का अध्ययन करना; और

(3) उपर्युक्त (1) और (2) विश्लेषणों और अध्ययनों के आधार पर भूमि-अधिग्रहण के लिए मानदण्डों तथा सिद्धान्तों और पुनर्वास कार्यों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना।

3. यह समिति अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1976 के अन्त तक प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव, प्रधान मन्त्री सचिवालय, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के सभी मन्त्रालयों, विभागों को सूचनार्थ भेज दिया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसको सर्व-साधारण के सूचनार्थ राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित करा दें।

चन्द्रकान्त छोटाभाई पटेल, अपर सचिव

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1975

सं० 18-1/75-ए० एम०—इस मन्त्रालय की 20 मई, 1975 की अधिसूचना संख्या 18-1/75-ए० एम० के पैरा 2 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पादन विपणन और परिसंस्करण निगम के प्रबन्ध निदेशक व उद्यान सलाहकार श्री हरबंस सिंह को एतद्द्वारा केन्द्रीय कोल्ड स्टोरेज सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में श्री एल० सी० स्टाक्स के स्थान पर नामजद करती है।

ई० एस० पार्थसारथी, उप-सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
(समाज कल्याण विभाग)
नई दिल्ली-1, दिनांक 19 अगस्त 1975

संकल्प

सं० एफ० 7-1/73-आर० पी० यू० — दिनांक 26 मई, 1973 में आंशिक आशोधन करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा श्री एस० एन०रानाडे **के स्थान पर** श्री के० डी० गंगराडे, कार्यकारी प्रिन्सीपल दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क, को समाज कल्याण अनुसन्धान सम्बन्धी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० आर० रामचन्द्रन, सयुक्त सचिव

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय
(पुनर्वास विभाग)
नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 अगस्त 1975

शुद्धि-पत्र

सं० 9 (39)/74-पुनर्वास II—इस मन्त्रालय के संकल्प संख्या 9 (39)/74-पुनर्वास ii, दिनांक 7 जनवरी, 1975 में निम्नलिखित संशोधन कर लिए जायें :—

(i) पैरा 2 में क्रम संख्या 3 के सामने वर्तमान प्रविष्टि **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रविष्टि **प्रतिस्थापित कर ली जाए** :—

"3. पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय (पुनर्वास विभाग) में श्रीलंका के प्रत्यावासियो के पुनर्वास कार्य को कर रहे भारत सरकार के संयुक्त सचिव	—**सदस्य**"

(ii) पैरा 2 मे क्रम संख्या 3 के **पश्चात्** निम्नलिखित **जोड़ा जाए** :—

"4. पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय (पुनर्वास विभाग) में बर्मा के प्रत्यावासियों पुनर्वास कार्य को कर रहे निदेशक	—**सदस्य**"

(iii) पैरा 2 मे उसके पश्चात् की क्रम संख्या को **तदनुसार परिवर्तित** कर दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि शुद्धि-पत्र की प्रतियां निम्नलिखित को भेज दी जाएं :—

(1) सभी राज्य सरकारों तथा मुख्य आयुक्त।

(2) भारत सरकार के सभी मन्त्रालय, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मन्त्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मन्त्री का सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, सभी महालेखापाल तथा नियन्त्रक, मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी, पुनर्वास, नई दिल्ली, रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड), पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि-पत्र को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एन० ए० एस० कादिरी, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 18th September 1975

CORRIGENDUM

Post Office Savings Bank's Prize Incentive Scheme result of the Third Draw held on 31st July 1975 at All India Fine Arts & Crafts Society Hall, Rafi Marg, New Delhi.

No. F. 2(11)-NS/75.—The following entries may be *substituted* in place of the existing ones relating to Serial No. 90 of the list detailing the hundred Fourth Prizes of Rs. 5000 each announced in this Ministry's Notification of even number dated the 5th August, 1975 :

Prize	All India Code Number	Post Office Savings Bank's Account Number	Post Office Head Post Office,	State/Union Territory
90	1446773	1068730	Calicut	Kerala

A. V. SRINIVASAN, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

RULES

New Delhi, the 11th October 1975

No. A-12025/8/74-M2.—The rules for a combined competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1976 for the purpose of filling vacancies in the following posts are, with the concurrence of the Ministry of Agriculture and Irrigation, published for general information :—

Category I (Posts in the Geological Survey of India, Ministry of Steel and Mines)

(i) Geologist (Junior), Class I, and

(ii) Assistant Geologist, Class II.

Category II (Posts in the Central Ground Water Board Ministry of Agriculture and Irrigation)

Junior Hydrogeologist, Class I,

1. A candidate may compete in respect of any one or both the categories of posts mentioned above. He should clearly indicate in his application the posts for which he wishes to be considered in the order of preference.

No request for alteration in the preferences indicated by a candidate in respect of posts covered by the category/categories for which he is competing would be considered unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 15 days of the date of declaration of the results of the written examination.

2. Appointments on the results of the examination will be made on a temporary basis in the first instance. The candidates will be eligible for permanent appointment in their turn as and when permanent vacancies become available.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971; the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on 1st January, 1976, *i.e.* he must have been born not earlier than 2nd January 1946 and not later than 1st January 1955.

Provided that a candidate who was born earlier than 2nd January 1946 but not earlier than 2nd January 1945 shall also be eligible for admission to this examination, as a special case. This relaxation would be admissible for the examination to be held in 1976 only.

(b) The upper age limit will be relaxable by 4 years in the case of Government servants of the following categories if they are employed in a Department mentioned in Column I below and apply for the corresponding post(s) mentioned in Column II.

(i) A candidate who holds substantively a permanent post in the particular Department.

(ii) A candidate who has been continuously in a temporary service in the particular Department for at least three years on 1st January, 1976.

For the purpose of reckoning three years continuous service, service rendered both in Geological Survey of India and Central Ground Water Board will be taken into account provided there is no break in service.

Column I	Column II
Geological Survey of India	Geologist (Junior) Class I, Assistant Geologist, Class II.
Central Ground Water Board	Junior Hydrogeologist, Class I. Assistant Hydrogeologist, Class II.

(c) The upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of three years if a candidate was a resident of the former Portuguese territories of Goa, Daman and Diu;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(xii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof; and

(xiii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(b) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from his post after submitting the application.

(ii) A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office, will be eligible to compete under departmental age concession for the post(s), for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application duly recommended, has been forwarded by his parent Department

7. A candidate must have—

(a) M.Sc. degree in Geology or Applied Geology from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956; or

(b) Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible, and in any case not later than 30th September, 1976.

NOTE II.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

9 Persons already in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated employees, must submit their applications through the Head of their Department or Office concerned who will complete the endorsement at the end of application form and forward them to the Commission. Such candidates should in their own interest, submit advance copies of their applications direct to the Commission These, if accompanied by the prescribed fee, will be considered provisionally, but the original application should ordinarily reach the Commission within a fortnight after the closing date If a person already in Government service does not submit an advance copy of his application alongwith the prescribed fee, or if the advance copy submitted by him is not received in the Commission's Office on or before the closing date, the application submitted by him through the Head of his Department or Office, if received in the Commission's Office after the closing date will not be considered.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

14. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

15 The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16 Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination to the preferences expressed by a candidate for the various posts at the time of his application.

17. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as

may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedent, is suitable in all respect for appointment to the post.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the post. A candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be may prescribe is found not to satisfy those requirements, will not be appointed. Only candidates who are likely to be considered for appointment will be physically examined. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 to the Medical Board concerned at the time of the Medical examination.

NOTE—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment to Gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled ex-Defence Services personnel and the Border Security Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

19. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

20. Brief particulars relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

A. S. DESHPANDE, Under Secy.

APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I—Written examination in the subjects as set out in para 2 below.

Part II—Interview for Personality Test of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 200 marks (see para 7 below).

2. The following will be the subjects for the written examination :—

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) English (including Essay and Precis writing)	3 hrs.	100
(ii) General Knowledge . .	2 hrs.	100
(iii) General Geology, Geomorphology and Structural Geology	3 hrs.	200
(iv) Crystallography, Mineralogy, Petrology and Geochemistry	3 hrs.	200
(v) Stratigraphy and Palaeontology	3 hrs.	200
(vi) Economic Geology, Indian Mineral Deposits, Mineral Exploration and Mineral Economics. . . .	3 hrs.	200
(vii) Hydrogeology . .	3 hrs.	200

N.B.—Candidates competing for the posts under both category I and category II will be required to offer all the seven subjects mentioned above. Candidates competing for Category I posts only will be required to offer the subjects at (i) to (vi) above and candidates competing for Category II posts only will be required to offer the subjects at (i) to (v) and (vii) above.

3. All papers must be answered in English.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The standard and syllabus of the examination will be as shown in the attached Schedule.

6 The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. Special attention will be paid in the Personality Test to assessing the candidate's capacity for leadership initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application, integrity of character and aptitude for adapting themselves to the field life.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deductions up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

10 Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

STANDARD AND SYLLABUS

The standard of the papers in English and General Knowledge will be such as may be expected of a science graduate. The papers on geological subjects will be approximately of the M.Sc. degree standard of an Indian University and questions will generally be set to test the candidates grasp of the fundamentals in each subject.

There will be no practical examination in any of the subjects.

(1) *ENGLISH* (including essay and precis-writing)

Questions to test the understanding of and the power to write English. Passages will usually be set for summary or precis

(2) *GENERAL KNOWLEDGE*

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of nature which candidates should be able to answer without special study.

(3) *GENERAL GEOLOGY GEOMORPHOLOGY AND STRUCTURAL GEOLOGY*

1. *General Geology.*—Origin of the Earth. Continents and Oceans—their distribution, evolution and origin. Continental drift, ocean spreading and concept of plate-tectonics. Palaeoclimates and their significance. Isostasy. Palaeomagnetism. Radioactivity and its application to geology. Geochronology and age of the Earth Seismology and interior of the Earth. Meteorites. Geosynclines and their classification. Volcanism. Island arcs, deep-sea trenches and midocean ridges. Coral reefs. Land stability. Orogeny and epeirogeny. Orogenic cycles.

2. *Geomorphology.*—Basic concepts and significance. Geomorphic processes and their parameters. Geomorphic cycles and their interpretations. Geomorphic features of the Indian subcontinent. Topography and its relation to structures. Terrain evaluation. Coils.

3. *Structural Geology.*—Physical properties of rocks. Stress and strain ellipsoid. Deformation. Faulting and folding—their mechanics. Primary structures and their significance. Lineation, foliation and joints. Plutons diapirs and salt domes. Recognition of tops and bottoms of beds. Unconformities, diastrophism. Petrofabric analysis and its graphic representation.

(4) *CRYSTALLOGRAPHY, MINERALOGY, PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY*

A. *CRYSTALLOGRAPHY*

Symmetry elements and classification of crystals. Projections Spherical and Stereographic; Goniometry. 32 classes (Point groups). Space lattice and space groups. Basic principles of X-ray crystallography. Twinning and crystal imperfections.

B. *MINERALOGY*

(i) *Descriptive*

Atomic structure. Paking and bonding in crystals. Atomic substitution—Type structures. Physical, Electrical, magnetic and thermal properties of minerals.

Structure and classification of silicates.

Study of the following minerals and groups :

Ortho-and ring silicates.

Olivine group, Garnet group, Epidote group and Mellite group. Zircon, Sphene, Silliminite, Andalusite. Kyanite, Topaz, Staurolite, Beryl, Cordierite Tourmaline.

Chain silicates :

Pyrozene group and Amphibole group.

Wollastonite and Rhodonite.

Sheet silicates

Mica group, Chlorite group and Clay minerals.

Framework silicates :

Feldspar group, Silica minerals, Feldspathoid group, Zeolite group and Scapolite group.

Non-silicates :

Oxides, Hydroxides Carbonates, Phosphates, Halides, Sulphides and Sulphates.

(ii) *Optical mineralogy* :

General principles of optics; Optical accessories; refringence; birefringence; extinction angle; picochroism; Optical ellipsoids; Optical axil angle; Optic orientation; Dispersion; Optic anomalies.

Universal stage and its uses.

C. *PETROLOGY*

(i) *Igneous* :

Forms, structures, texture and classification. Description of important groups. Granite-Granodiorite-Diorite Syenite Nepheline Syenite. Gabbro-Peridotite-Dunite. Dolerites and Lamprophyres, Pegmatites and Aplites. Ijolite and Carbonatites. Rhyolite-Trachyte-Dacite. Andesites and Basalts.

Phase rule and equilibrium in silicate system. Two component and three-component systems. Order of crystallisation. Reaction principle. Crystallisation of magmas-Basaltic magma. Diversity of rocks. Assimilation. Variation diagrams. Origin of granites, monomineralic rocks, Alkaline rocks, Carbonatites, Pegmatites and Lamprophyres.

(ii) *Sedimentary* :

Classification and composition of sedimentary rocks. Origin of sediments. Textures and structures. Study of important groups of sedimentary rocks. Mechanical analysis of sediments. Methods of deposition Provenance of sediments. Depositional environments, Heavy minerals and their significance. Lithification and diagenesis.

(iii) *Metamorphic* :

Agents of metamorphism. Types, controls. Structures, grades and facies. Metamorphic differentiation. Metasomatism and granitisation. Magmatites, granulites, charnockites, amphibolites, schists, gneisses and hornfels. Metamorphism in relation to magma and orogeny.

D. *GEOCHEMISTRY*

Scope of Geochemistry, cosmic abundances of elements, primary geochemical differentiation of the Earth; geochemical classification of the elements. Trace elements in different types of rocks. Geochemistry of water.

Geochemistry of sedimentation, geochemical cycle and elementary principles of geochemical prospecting.

(5) *STRATIGRAPHY AND PALAEONTOLOGY*

1. *Stratigraphy* :

Principles of stratigraphy and nomenclature. Outlines of world stratigraphy and palaeography with knowledge of the type sections of the various geological systems and major orogenic cycles. Gondwana system and general knowledge of its equivalents in other parts of Gondwanaland.

Stratigraphy and palaeography of the Indian sub-continent (India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka). Correlation of the major Indian formations with critical study of the age problems of formations and features such as Vindhyan Group, Saline Series, Gondwana glaciation, Deccan Traps and Cretaceous-Tertiary Boundary.

2. *Palaeontology* :

(a) Fossils, their nature, modes of preservation and uses. Morphology, classification and geological history of the invertebrates, with knowledge of corals, brachiapods, lamellibranchs, ammonites, gastropods, trilobites, echinoderms, graptolites and foraminifers.

(b) Vertebrates : Principal groups of vertebrates with emphasis on Gondwana and Siwalik faunas. Evolutionary histories of man, elephant and horse.

(c) Plants : Fossil flora with emphasis on Gondwana flora and its significance and distribution.

(d) Micropalaeontology : Its importance with special reference to foraminiferids, their ecology and palaeoecology.

(6) *ECONOMIC GEOLOGY, INDIAN MINERAL DEPOSITS, MINERAL EXPLORATION AND MINERAL ECONOMICS*

A. *Economic Geology* :

Mineral deposits—processes of formation, controls of localisation and paragenesis. A study of metallic and non-metallic minerals. Fuels. Industrial rocks and minerals. Gems and semiprecious minerals.

B. *Indian Mineral Deposits* :

Indian deposits of the following metallic and non-metallic ores and minerals with reference to their distribution, mode of occurrence and origin :

(a) Copper, Lead, Zinc, Aluminium, Magnesium, Iron, Manganese, Chromium, Gold, Silver, Tungsten and Molybdenum.

(b) Mica, Vermiculite, Asbestos, Barytes, Graphite, Gypsum, Ochre, Precious and Semiprecious minerals, Refractory minerals, Abrasives, and minerals for ceramics, glass, fertiliser and cement industries, Paint and Pigments and Building stones.

(c) Coal, petroleum, natural gas and atomic energy minerals.

C. *Mineral Exploration and Mineral Economics* :

(a) Methods of surface and sub-surface exploration, field equipment and field tests used for exploration; guides for locating ore deposits, sampling assaying, evaluation of prospects and application of geophysical, geochemical and geobotanical surveys in mineral exploration.

(b) Significance of minerals in national economy, use of various minerals in mineral and manufacturing industries; demand, supply and substitutes; production and price of major minerals in India; international aspects of mineral industries; strategic, critical and essential minerals. Fundamentals of mineral concession rules of India, conservation and national mineral policy.

(7) *HYDROGEOLOGY*

Hydrological Cycle.

Distribution of water in the earth's crust ;

Ground Water in hydrological cycle, Origin of ground waters, meteoric, juvenile and magmatic waters, springs classification

of rocks with respect of water bearing characteristics, Hydro-stratigraphic units, Geological structures favouring ground water occurrence, Ground Water Provinces.

Ground Water reservoirs—Aquifers, aquicludes, aquitards.

Hydrological properties of rocks (Ground Water reservoirs) porosity, void ratio, permeability, Transmissivity, storativity, specific yield, specific retention, Diffussivity, Barometric and Tidal efficiencies.

Classification of aquifers—unconfined, confined, leaky and Bounded aquifers, Coastal aquifers.

Methods of identification of ground water reservoir properties —Permeability, and specific yield/storativity by discharging well methods and laboratory techniques. Forces causing ground water movement—Water table, piezometric surface, Fluid potentials, density differences, hydrochemical (Osmotic) : Laws of ground water movement—Darcy's law.

Ground Water recharge—artificial and natural, factors controlling recharge, conjunctive and consumptive use of ground water.

Surface and sub-surface techniques of ground water exploration-geological and geophysical—water balance—techniques of ground water extraction (Types of wells methods of well construction in different types of rocks for best yield).

Chemical characteristics of ground water in relation to various uses—domestic, industrial and irrigational.

APPENDIX-II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board. For the disabled ex-Defence Services Personnel and the Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.]

1. To be passed as fit for appointment candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if there be any disproportion with regard to height, weight, and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows:—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, valves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head-level under the horizontal bar, and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows:—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres thus 84-89 86-93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in Kilograms; fraction of half a Kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with following rules. The result of each test will be recorded.

(i) *General.*—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eyelids or contiguous structures of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity.*—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for the distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Distant Vision		*Near Vision*	
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0·6	0·8

NOTE (1).—Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed —4·00D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4·00D.

NOTE (2).—*Fundus Examination* : Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

NOTE (3).—*Colour vision* : (i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distant between the lamp and candidate . . .	4·9 metres	4·9 metres
2. Size of aperture . . .	1·3 mm.	13mm.
3. Time of Exposure . .	5 sec.	5 sec.

For the services concerned with safety of the Public, *e.g.*, pilots, drivers, guards, etc., the higher grade of colour vision is essential but for others the lower grade of colour vision should be considered sufficient. The same standards of colour vision should be applicable in respect of all engineering personnel in whose case colour perception is considered

essential irrespective of the fact whether their duties involve field work or not

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like Edrige Greens shall be considered quite dependable for testing colour vision While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test In doubtful case where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed

NOTE (4) —*Field of vision* —The field of vision shall be tested by the confrontation method Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter

NOTE (5) —*Night Blindness* —Night blindness need not be tested as a routine, but only in special cases No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests *e g*, recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes Candidates' own statements should not always be relied upon, but they should be given due consideration

NOTE (6) —(a) *Ocular conditions other than visual acuity* —Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification

(b) *Trachoma* —Trachoma unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification

(c) *Squint* —Where the presence of binocular vision is essential squint, even if the visual acuity is of a prescribed standard should be considered as a disqualification

(d) *One eyed persons* —The employment of one-eyed individuals is not recommended

7 *Blood Pressure*

The board will use its discretion regarding Blood Pressure A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows —

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory

N B —As a general rule any systolic pressure over 140mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc, or whether it is due to any organic disease In all such cases X-Ray and electro-cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however rest with the Medical Board only

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule The measurement should not be taken with in fifteen minutes of any exercise or excitement Provided the patient and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position The arm should be freed from clothes to the shoulder The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of elbow The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied slightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff The cuff is inflated to about 200 m m Hg and then slowly deflated The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic Pressure When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity The level at which the well heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure The measurement should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings Rechecking if necessary should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level, they may disappear as pressure falls and reappear at still lower level This silent Gap may cause error in reading)

8 The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded Where a Medical Board finds sugar present in a candidates urine by the usual chemical test, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate 'fit subject to the glycosuria being non diabetic" and the board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal The Medical specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and, will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit' or 'unfit" The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision

9 A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over She should be re examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner

10 The following additional points should be observed —

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard ·

(1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 Decibel in speech frequencies of 1000 to 4000
(3) Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present Temporarily unfit Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below

	(*ii*) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.
	(*iii*) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
4) Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/ on both sides.	(*i*) Either ear normal hearing other ear, Mastoid cavity—Fit for both technical and non-technical jobs.
	(*ii*) Mastoid cavity of both sides, Unfit for technical job. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibles in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently discharging ear-operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs..
(6) Chronic inflammatory/a ergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(*i*) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.
	(*ii*) If deciated nasal Septum is present with symptoms—Temporarily unfit.
7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(*i*) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx Fit.
	(*ii*) Hoarseness of voice of severe degree if present then Temporarilty Unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(*i*) Benign tumours—Temporarily unfit.
	(*ii*) Malignant Tumours—Unfit.
(9) Otosclerosis.	If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of hearing aid Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(*i*) If not interfering with functions Fit.
	(*ii*) Stuttering of severe degree —Unfit.
(11) Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(d) that the chest is well formed and his chest expan-

(c) that his teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured.

(g) that he does not suffer from hydrocele, severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands, and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing appointed to determine their fitness for the above posts. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains, a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner.

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease constitutional affection or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases; found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the posts of Geologists (Jr.) and Assistant Geologists are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate, the Medical Board should specifically, record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board.

There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates, should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the Warning contained in the Note below:—

1. State your name in full (in block letters) .....

.....

2. State your age and birth place .....

.....

2. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower. Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race.

3. (a) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis?

(b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

4. When were you last vaccinated ?

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause ?

6. Furnish the following particulars concerning your family.

Father's age, if living, and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age, if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sisters dead their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before ?

8. If answer to the above is 'Yes' please state what Services/posts you were examined for ?.....

9. Who was the examining authority ?.....

10. When and where was the Medical Board held ?.....

.....

11. Results of the Medical Boards' examination, if communicated to you or if known .....

I declare all the above answers to be to the best of my belief, true and correct.

Candidates Signature .....

Signed in my presence.
Signature of Chairman of the Board.

Note :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to superannuation Allowance or Gratuity.

(b) Report of the Medical Board on (Name of candidate) physical examination.

1. General development : Good ....., Fair .....
Poor .....

Nutrition :Thin ..... Average .....Obese .....

Height (without shoes) ..... Weight .....

Any recent change in weight .....

Temperature .....

Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration) .....

(2) (After full expiration) .....

2. Skin : any obvious disease .....

3. Eyes .....

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of Vision .....

(5) Fundus Examination .....

(6) Visual Acuity .....

(7) Ability for steroscopic fusion .....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses
			sph. Cyl Axis
Distant Vision RE LE			
Near Vision RE LE			
Hypermetropia (Manifest) RE LE			

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear.....
..... Left Ear .....

5. Glands ..... Thyroid

6. Condition of teeth .....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully .....

8. Circulatory System :

(a) Heart and organic lesions .....

Rate : Standing .....

After hopping 25 times .....

2 minutes after hopping .. ..

(b) Blood Pressure : Systolic ..... Diastolic
.....

9. Abdomen : Girth .....

Tenderness .....

Hernia .....

(a) Palpable Liver ..... Spleen
Kidneys Tumours

(b) Haemorrhoids ..... Fistula

10. Nervous System : Indications of nervous or mental disabilities .....

11. Loco-Motor System : Any abnormality .....
.....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Variocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report or X-Ray Examination of Chest .....
.....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate .....

NOTE.—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, vide regulation 9.

.....
.....

15. (a) For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit ?

.....
.....

(b) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

.....

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporarily unfit on account of .....
.....

President.....

Member.....

Place.....

Date.....

APPENDIX III

Brief particulars relating to the posts for which recruitment is being made through this examination.

1. *Geological Survey of India*

(1) Geologist (Junior) Class I—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years, which may be extended if necessary.

(*b*) Prescribed scales of pay in the Geological Survey of India :—

(*i*)	Geologist (Jr. Scale)	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.
(*ii*)	Geologist (Sr. Scale)	Rs. 1100-50-1600.
(*iii*)	Director . . .	Rs. 1500 -60-1800-100-2000.
(*iv*)	Deputy Director General .	Rs. 2250-125/2-2500-EB-125/2-2750.
(*v*)	Director General .	Rs. 3,000 (fixed)

Revised scale of pay not yet notified.

(c) Promotions to the higher grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations respectively, subject to such modification as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) All officers of Geological Survey of India are liable for service in any part of India or outside India.

(2) Assistant Geologist Class II—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended ,if necessary.

(b) Prescribed scale of pay Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.

(c) Recruitment to the Cadre of Geologist (Class I—Junior Scale) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination, and partly through DPC by promotion from the next lower grade of Assistant Geologist of the Geological Survey of India in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations respectively subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Geologists are liable for service anywhere in India or outside India.

2. *Central Ground Water Board*

(1) *Junior Hydrogeologist Class I*—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) prescribed scales of pay in the Central Ground Water Board :—

(i) Junior Hydrogeologist—Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

(ii) Senior Hydrogeologist—Rs. 1100—50—1600.

(iii) Director—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(iv) Chief Hydrogeologist—Rs. 2250—125—2500.

(c) Promotions to the higher grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) All officers of Central Ground Water Board are liable for service in any part of India or outside India.

(2) *Assistant Hydrogeologist, Class II.*

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scale of pay.—Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000—EB—40—1200.

(c) Recruitment to the cadre of Junior Hydrogeologist (Class I) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotion from the next lower grade of Assistant Hydrogeologist of the Central Ground Water Board in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by the Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Hydrogeologists are liable for Service anywhere in India or outside India.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 16th September 1975

No. F. 1(17)/75-SRI.—Under the provisions of Article 94(a) of the Articles of Association of the National Research Development Corporation of India (a Company registered under Companies Act, 1956), the President is pleased to continue the appointment of Dr. C V. S. Ratnam, Managing Director of the said Corporation for a fresh tenure of five years with effect from the 21st August, 1975.

S. C. SETH, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 22nd August 1975

RESOLUTION

No. 2-13/75-HN.—In pursuance of the recommendation made in the meeting of the Krishi Mantralaya Hindi Salahakar Samiti held on the 25th March, 1975, a Sub-Committee of Krishi Mantralaya Hindi Salahakar Samiti has been set up. The Sub-Committee shall consist of :—

Members

1. Shri R. P. Naik,
Hindi Salahakar to the Government of India.
2. Shri Shyam Sunder Mahopatra,
Member Parliament.
3. Shri Anjneya Sharma,
Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras.

Convener

4. Dr. R. N. Dwivedi,
Varishtha Hindi Adhikari.

This Sub-Committee shall function within the frame work of the general policy of the Government and shall also visit attached and subordinate offices autonomous organisations and Section of all the Departments of this Ministry to see the progress of Hindi work there and shall offer their suggestions on matters relating to the use of Hindi and its progress. These suggestions shall be submitted to the Krishi Mantralaya Hindi Salahakar Samiti from time to time. The term of the Sub-Committee shall be concurrent with that of the main Committee. The Headquarters of the Sub-Committee shall be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Q. M. AHMAD, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF IRRIGATION)

New Delhi, the 18th September 1975

RESOLUTION

No. FC-37(38)/75.—Measures to effect economy in project costs were considered at the First Conference of the State Ministers of Irrigation held at Delhi on 17th and 18th July, 1975. The Conference noted the analysis made by the Expert Committee examine the reasons for rise in the cost of multipurpose projects set up by the Government of India in 1972 which indicated that cost increases have been caused *inter alia* by the increase in land rates and rehabilitation measures. The phenomenal increases of costs in these areas has become a troublesome trand vitiating economic viability of irrigation and multipurpose projects. The Conference considered the recommendations of the Committee that the increase in land compensation and rehabilitation provision in the project cost should be examined in depth. A standard approach needs to be evolved for adopting the rate of compensation for land which would recognise.

(i) a fair deal to those affected; and

(ii) prevent any artificial increase and speculation in the cost of land.

Further, there is no uniform policy as regards the scale of rehabilitation measures with standards followed in each State varying greatly. There is thus a need of laying down a broad national policy on rehabilitation with adequate latitude for reasonable modifications being made on the merits of each case. Both the land compensation and rehabilitation aspects have particular relevance in the case of projects whose benefits go to one State while the land and the property is submerged in a neighbouring state. The Conference recommended that a Committee of Ministers be set up to look into the question of laying down national norms for land acquisition and rehabilitation measures for people displaced by major water resources projects. The Government of India in pursuance of this

recommendation have decided to set up a Committee. The Committee shall consist of :—

Chairman

(i) Union Deputy Minister of Agriculture and Irrigation.

Members

(ii) Minister for Irrigation, Bihar.

(iii) Minister for Irrigation, Gujarat.

(iv) Minister for Revenue, Karnataka.

(v) Minister for Revenue, Madhya Pradesh.

(vi) Minister for Irrigation, Maharashtra.

(vii) Minister for Irrigation, Rajasthan.

(viii) Minister for Revenue, Uttar Pradesh.

Member-Secretary

(ix) Joint Secretary (Indus) Department of Irrigation.

2. The terms of reference of the Committee shall be as follows :

(i) to make an analysis of the rates provided for land acquisition in the original estimates and the rates actually awarded and/or paid in some important single State and interstate water development projects; and the problem in determination of fair and just compensation both from the landowners and projects interests;

(ii) to make a study of the nature of rehabilitation provisions and amenities provided to the displaced persons having regard to the land compensation received by them, and social and welfare aspects of the rehabilitation measures in some single State and inter-state water development projects; and

(iii) to lay down on the basis of the analysis and studies mentioned in (i) and (ii) above, principles and norms for land acquisition and a broad national policy for rehabilitation measures.

3. The Committee will submit its report by the end of February, 1976.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territories, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Secretariat, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of Central Government for information.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

C. C. PATEL, Addl. Secy.

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 15th September 1975

No. 18-1/75-AM.—In pursuance of para 2 of this Ministry's Notification No. 18-1/75-AM, dated the 20th May, 1975, the Central Government hereby nominate Shri Harbans Singh, Managing Director, Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation-*cum*-Horticulture Adviser to the Government of Himachal Pradesh to serve as member on the Central Cold Storage Advisory Committee vice Shri L. C. Stokes.

E. S. PARTHASARATHY, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE)

New Delhi-1, the 19th August 1975

No. F.7-1/73RPU.—In partial modification of Resolution No. F. 7-1/73-RPU dated 26th May, 1973, the Government of India hereby nominate Shri K. D. Gangrade, Acting Principal, Delhi School of Social Work *in place* of Shri S. N. Ranade, as member of the Advisory Committee on Social Welfare Research.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. R. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

Copy forwarded for information to Chief Secretaries of all State Governments/Union Territory Administrations; Secretary to the President of India; Prime Minister's Secretariat; All Ministries/Departments of the Government of India; Planning Commission; Lok Sabha Secretariat; Rajya Sabha Secretariat; Department of Parliamentary Affairs; Librarian in the Parliament House (3 spare copies); the Principal Information Officer, Press Information Bureau; Information Officer (Department of Social Welfare).

M. M. BHALLA, Research Officer

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(DEPARTMENT OF REHABILITATION)

New Delhi-110011, the 29th August 1975

CORRIGENDUM

No. 9(39)/74-RH. II.—In this Ministry's Resolution No. 9(39)/74-RH. II, dated the 7th January, 1975, the following amendments may be carried out :

(i) For the existing entry against S. No. 3 in para 2, substitute :—

"3. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Supply & Rehabilitation (Department of Rehabilitation) dealing with resettlement of repatriates from Sri Lanka.

—Member."

(ii) After S. No. 3 in para 2, add :—

"4. Director Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) dealing with resettlement of repatriates from Burma.

—Member."

(iii) Subsequent S. Nos. in para 2 may be renumbered.

ORDER

ORDERED that a copy of the Corrigendum be communicated to :—

(i) All State Governments and all Chief Commissioners.

(ii) All Ministries of the Government of India, the Planning Commission, the Union Public Service Commission, the Cabinet Secretariat, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, All Accountant General and Comptrollers, Chief Pay & Accounts Officer, Rehabilitation, New Delhi, Railway Ministry (Railway Board), Director-General of Supplies and Disposal.

ORDERED also that the Corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

S. A. S. QADIRI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975